अध्याय 3: सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंको के लिए निर्दिष्ट कर प्रावधानों का अनुपालन

निष्पादन लेखापरीक्षा में अधिनियम के तहत सहकारी क्षेत्र के निर्धारितियों के लिए विशिष्ट प्रावधानों के अनुपालन की प्रकृति और सीमा की जांच करने की परिकल्पना की गई है। निर्दिष्ट गतिविधियों में संलग्न सहकारी समितियाँ अधिनियम की धारा 80पी के तहत प्रावधानों के अनुसार निर्दिष्ट आय पर कटौती का दावा करने के लिए पात्र हैं। अधिनियम की धारा 80पी(2) में यह निर्दिष्ट किया गया है कि इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट विविध प्रकार की गतिविधियों में संलग्न सहकारी समितियों द्वारा अर्जित आय, जिस पर अधिनियम की धारा 80पी के तहत कटौती का दावा स्वीकार्य है। सहकारी समितियों के लिए निर्दिष्ट कटौती के दावे की अनुमति की जांच करते समय निर्धारण अधिकारियों को अधिनियम के तहत निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति की जांच करना अपेक्षित है, जबकि पारस्परिकता[49] के सिद्धांतों के पालन के आधार पर उनकी पात्रता का निर्धारण भी किया जाता है।

खराब और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के कारण और एक निर्दिष्ट सत्व द्वारा बनाए गए और अनुरक्षित किए गए विशेष रिजर्व के संबंध में बैंकिंग और वित्तीय व्यवसाय में सलंग्न सत्वों को कटौती की स्वीकृति अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) और 36(1)(viii) द्वारा विनियमित किया जाता है। साथ ही, चीनी निर्माण में लगी सहकारी समितियां अधिनियम की धारा 36(1)(xvii) के तहत गन्ने की खरीद के लिए किए गए खर्च पर कटौती का दावा करने की हकदार हैं। आकलन पूरा करते समय इन कटौतियों के दावों की जांच करने के लिए निर्धारण अधिकारियों की आवश्यकता होती है।

इस अध्याय के पैरा 3.2 से 3.7, 3.11, 3.12 और 3.13 में निर्धारितियों द्वारा किए गए दावों के निर्धारण के दौरान निर्धारण अधिकारियों द्वारा निर्धारित अनुसार क्रमश: अधिनियम की धारा 80पी, 36(1)(viiए), 36(1)(viii), 36(1)(xvii) के तहत प्रावधानों के अनुपालन की सीमा पर चर्चा की गई है। इन पैरों के बाद ऐसे मामलों की जांच के दौरान पाए गए

49 जहां कई व्यक्ति एक साथ गठबंधन करते हैं और किसी उद्यम या वस्तु के वित्तपोषण के लिए एक साझा निधि में योगदान करते हैं और इस संबंध में किसी बाहरी निकाय के साथ कोई व्यवहार या संबंध नहीं होते हैं, तो उन व्यक्तियों को लौटाए गए किसी भी अधिशेष को लाभ नहीं माना जा सकता है, जो कर के लिए प्रभारित हैं [सीआईटी बनाम बांकीपुर क्लब लिमिटेड 226 आईटीआर पी 97 (एससी)]।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों का ब्यौरा और उदाहरण दिए गए है जो अधिनियम के अंतर्गत सामान्य जांच और लेखापरीक्षा द्वारा किए गए जोखिम आकलन के अनुसार कुछ विशिष्ट जांच के अधीन थे। विशिष्ट जांचों के अधीन मामलों के निर्धारण विवरणों पर इस अध्याय के पैरा 3.8, 3.9 और 3.10 में चर्चा की गई है। सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों के आकलन की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारण अधिकारियों द्वारा सत्यापन तंत्र पारस्परिकता के सिद्धांतों का पालन करने और आयकर अधिनियम के तहत प्रावधानों में अंतर्निहित शर्तों को पूरा करने में अपर्याप्त था जिसके परिणामस्वरूप अयोग्य आय अथवा अयोग्य निर्धारितियों पर अस्वीकार्य दावों की अस्वीकृति हुई। सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंको के लिए निर्दिष्ट उक्त वर्णित प्रावधानों के अननुपालन के मामलों की चर्चा उस अध्याय में की गई है।

3.1 सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के लिए निर्दिष्ट कर प्रावधानों के तहत अनुमति तथा कटौतियों में अनियमितताओं का प्रोफाइल

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए और इस अध्याय में शामिल सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों के लिए विशिष्ट कर प्रावधानों के तहत अनुमति और कटौतियों में अनियमितताओं के राज्य/क्षेत्रवार ब्यौरे नीचे दिए गए चार्ट 3.1 में दर्शाए गए है।

चार्ट 3.1 सहकारी समितियों/सहकारी बैंको को कर प्रावधान विशिष्ट के अंतर्गत अनुमतियों/कटौतियों में राज्य/क्षेत्रवार अनियमितताएं

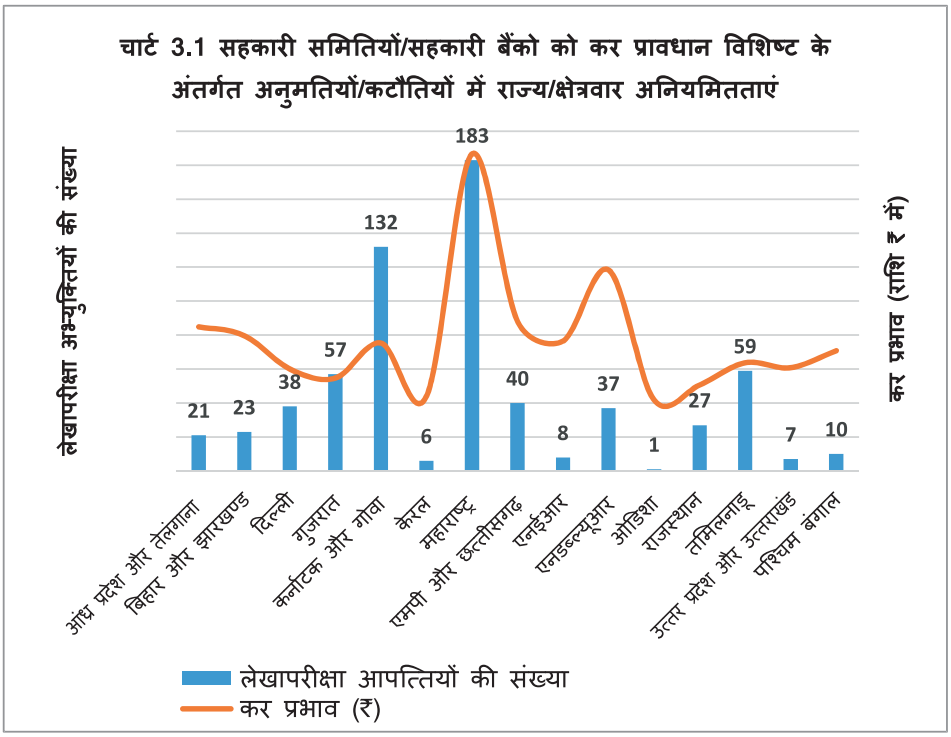

लेखापरीक्षा में कृतिम न्यायिक व्यक्ति (एजेपी), व्यक्तियों का संघ(न्यास) (एओपी (ट्रस्ट)), व्यष्टियों का निकाय (बीओआई), फर्म, स्थानीय प्राधिकरण और कंपनी के रूप में पंजीकृत निर्धारितियों के संबंध में अनियमितताओं (अनियमितताओं का 22.65 *प्रतिशत*) के मामले देखे गए। इस प्रकार, जबकि नमूने में इन मामलों का 18.98 *प्रतिशत* था अत:, इन मामलों के संबंध में अनियमितताएं अधिक अनुपात में थीं। यह उल्लेखनीय है कि एजेपी, बीओआई, कंपनी, फर्म, स्थानीय प्राधिकरण और ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत निर्धारितियों को सहकारी समितियों के रूप में मूल्यांकित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने यह भी कहा (जुलाई 2020) है कि 'आयकर अधिनियम, 1961 के प्रयोजन हेतु सहकारी समितियों को व्यक्तियों का संघ माना जाता है।' आयकर विभाग पंजीकृत निर्धारितियों के समान वर्ग के पैन पंजीकरण श्रेणी में एकरूपता सुनिश्चित करने और सहकारी क्षेत्र में संस्थाओं द्वारा कर अनुपालन की प्रभावी निगरानी को सुगम बनाने के लिए सहकारी समितियां/सहकारी बैंक आयकर विभाग के रूप में आयकर विवरणी दाखिल करने वाले निर्धारितियों की पैन पंजीकरण स्थिति की समीक्षा कर सकता है।

लेखापरीक्षा में पाई गई अनियमितताओं का धारा-वार विवरण नीचे तालिका 3.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.1: सहकारी समितियों/सहकारी बैंकों पर लागू विशिष्ट धाराओं के तहत अनुमति तथा कटौतियों में अनियमितताएं

आयकर अधिनियम की धारा जिसके तहत लेखा परीक्षा में पाई गई कटौती की अनुमति में अनियमितताएं	लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या	कर प्रभाव (राशि ₹ करोड़ में)
36(1)(viiए)	118	375.20
36(1)(viii)	8	14.01
36(1)(xvii)	19	107.75
80पी(2)(ए)(i)	115	49.82
80पी(2)(ए)(ii)	1	0.08
80पी(2)(ए)(iv)	11	1.16
80पी(2)(ए)(vi)	2	0.13
80पी(2)(ए)(vii)	3	0.58
80पी(2)(डी)	367	145.64
80पी(2)(ई)	5	0.12
कुल योग	**649**	**694.50**

दावों और कटौतियों के निर्धारण में अनियमितताओं के 649 मामलों में से सहकारी क्षेत्र के निर्धारितियों के लिए विशिष्ट कर प्रावधानों के तहत, अधिनियम की धारा 80पी(2)(डी), 80(2)(ए)(आई) और 36(1)(viiए) के तहत क्रमशः 56.6 *प्रतिशत*, 18.2 *प्रतिशत* और 17.7 *प्रतिशत* पर अनुमत कटौती में अपेक्षाकृत अधिक त्रुटियां थी। इसने इन धाराओं के संबंध में अनुपालन न होने का अधिक जोखिम दर्शाया। आयकर विभाग केवल पात्र निर्धारितियों और वास्तविक दावों पर योग्य निर्धारितियों को लाभ की अनुमति सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के इन प्रावधानों पर अधिक जोर देने के साथ निर्धारण में ऐसी अनियमितताओं के कारणों की समीक्षा कर सकता है।

सहकारी समितियों/ सहकारी बैंकों के निर्धारण के कार्यकलाप-वार विवरणों से देखा जाए तो लेखापरीक्षा में बैंकिंग, ऋण और वित्तीय सेवाओं में लगे निर्धारितियों के आकलन में 68.7 *प्रतिशत* अनियमितताएं देखी गई हैं। इसके बाद व्यापार, आवास, चीनी निर्माण और डेयरी व्यवसाय में लगी सहकारी समितियों में क्रमशः 6.0 *प्रतिशत,* 5.4 *प्रतिशत,* 5.4 *प्रतिशत* और 4.0 *प्रतिशत* अनियमितताएं थी। आयकर विभाग अधिनियम की धारा 80पी और 36(1)(viiए) के तहत कटौती की अनुमति देने में अंतर्निहित अनियमितताओं के कारणों की समीक्षा कर सकता है। अधिनियम के तहत कटौती की सही अनुमति सुनिश्चित करने के लिए बैंकिंग, ऋण और वित्तीय सेवा क्षेत्रों पर अधिक जोर दे सकता है।

649 मामलें जहां लेखापरीक्षा ने कटौती की अनुमति में गलतियां देखी, में से 86.4 *प्रतिशत* मामलों (561) का निर्धारण संवीक्षा अर्थात अधिनियम की धारा 143(3) के तहत किया गया था। 561 संवीक्षा निर्धारण मामलों में से 380 मामलों में संवीक्षा पूरी हो गई थी, 92 में यह सीमित थी, तीन मामलों में यह मैनुअल थी जबकि शेष 86 मामलों में संवीक्षा के प्रकार के ब्यौरे सुनिश्चित करने योग्य नहीं थे। इसके अलावा, लेखापरीक्षा में पाया गया कि जिन 453 मामलों में चयन के लिए मापदंडों का ब्यौरा निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध था, उनमें अधिनियम की धारा 80पी के तहत क्रमशः ₹ 794.42 करोड़ और ₹ 760 करोड़ की कटौती के दावे और अनुमति से जुड़े 274 मामलों में जांच के लिए मामले के चयन के मापदंड "अध्याय VI-ए के तहत दावा की अधिक कटौती" के कारण थे जिसमें अधिनियम की धारा 80पी भी शामिल है। इस प्रकार, लेखापरीक्षा ने कई जोखिम मापदंडों के आधार पर निर्धारण अधिकारियों द्वारा विस्तृत जांच के अधीन किए जाने के बावजूद अन्य

अनियमितताएं पाई। गलत निर्धारण के ये मामलें निर्धारण के दौरान आय की पात्रता तथा दावों की स्वीकार्यता की जांच के अपर्याप्त स्तर को दर्शाते है।

आयकर विभाग सहकारी समिति के व्यवसाय या व्यापार कोड की गतिविधि वर्गीकरण या प्रकृति और अधिनियम की उप-धारा 80पी के साथ निर्धारिती की स्थिति कोड जिसके तहत कटौती का आयकर रिर्टन भरने के चरण में निर्धारिती द्वारा दावा किया जाता है, को जोड़ने पर विचार कर सकता है। अधिनियम की 80पी उप-धारा के साथ गतिविधि कोड और स्थिति कोड को जोड़ने से दावों की प्रभावी निगरानी को सुगम बनाने के अलावा सहकारी क्षेत्र में कटौती के प्रभाव का आकलन योग्य निर्धारितियों की कटौती की अनुमति सुनिश्चित करने अयोग्य दावों की संभावना को कम करने के लिए आयकर भी किया जा सकता। इसके अलावा, केवल योग्य निर्धारितियों को दावों की अनुमति सुनिश्चित करने के लिए सहकारी समितियों को स्वीकार्य कटौती का दावा करने वाले के पैन पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा कर सकता है।

3.2 अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(i) के तहत सहकारी समितियों के लिए कटौती

अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(i) अपने सदस्यों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने से बैंकिंग व्यवसाय से आय या आय पर कटौती का प्रावधान करती है। अपने सदस्यों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने वाली सहकारी समिति के मामले में, ऐसे व्यवसाय से लाभ और अर्जन की पूर्ण राशि घटाई जाती है। निर्धारण वर्ष 2007-08 के बाद से, अधिनियम की धारा 80पी के तहत कटौती किसी भी सहकारी बैंक के लिए उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने स्पष्ट[50] किया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम की धारा 80पी के तहत कटौती के लिए पात्र नहीं हैं। एक प्राथमिक कृषि ऋण समाज (पीएसीएस) या एक प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम की धारा 80पी के तहत कटौती के लाभ का दावा करने के लिए जारी रहेगा। अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(i) के तहत कटौती के दावे के उद्देश्य से ऋण सुविधाओं और सदस्यों शब्द का अर्थ कई मुकदमों के अधीन किया गया है।

3.2.1 लेखापरीक्षा ने सहकारी ऋण समितियों को स्वीकार्य अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(i) के तहत कटौती के दावों के 1721 मामलों[51] की जांच की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या उस आय, जिस पर कटौती का

50 केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड परिपत्र संख्या 6/2010, दिनांक 20 सितंबर, 2010

51 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक और गोवा, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, एनडब्ल्यूआर (चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और पंजाब), ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम।

दावा किया गया है, का आकलन सही ढंग से और समान रूप से निर्धारण अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है।

क. ऑडिट में पाया गया कि ₹ 7,038.39 करोड़ की कटौती के दावे से जुड़े 1,721 मामलों में 1,507 मामले (87.56 *प्रतिशत*) में निर्धारिती अपने सदस्यों के लिए बैंकिंग व्यवसाय करने पर हुई आय पर ₹ 5,550.62 करोड़ की कटौती का दावा करने या अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(i) के तहत निर्दिष्ट अपने सदस्यों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने के योग्य थे जबकि अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(i) के तहत ₹ 1,461.74 करोड़ की कटौती के दावे वाले 192 मामलों (11.16 *प्रतिशत*) में निर्धारिती इसके लिए पात्र नहीं थे। शेष 22 मामलों (1.28 *प्रतिशत*) में अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(i) के तहत स्वीकृत दावों की पात्रता का पता उपलब्ध अभिलेखों से नहीं लगाया जा सकता है।

तालिका 3.2: अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(i) के तहत कटौती के दावे

अधिनियम की धारा 80 पी(2)(ए)(i) के तहत किए गए दावों की पात्रता	**उन मामलों की संख्या जहां अधिनियम की धारा 80 पी(2)(ए)(i) के तहत कटौती का दावा किया गया है**	***अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(i) के तहत दावा की गई कटौती की राशि (₹ करोड़ में)***
पात्र	1507	5550.62
अपात्र	192	1461.74
सुनिश्चित नहीं	22	26.03
कुल	**1721**	**7038.39**

ख. लेखापरीक्षा में पाया गया कि 1,721 मामलों में से 1,356 मामलों (78.79 *प्रतिशत*) में सहकारी समितियों का प्राथमिक उद्देश्य अपने सदस्यों को ऋण और ऋण सुविधाएं प्रदान करना था जबकि 91 मामलों[52] में (5.29 *प्रतिशत*) सदस्यों को ऋण और ऋण सुविधाएं प्रदान करना प्राथमिक उद्देश्य नहीं था। 1,356 मामलों में से, 83 मामलों में, हालांकि सहकारी समितियों ने अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(i) के तहत ₹ 83.81 करोड़ की कटौती का दावा किया था, वे अपने सदस्यों को ऋण सुविधाएं नहीं दे रहे थे। इन 83 मामलों में

52 शेष 278 मामलों (16.19 *प्रतिशत*) में ₹ 857.22 करोड़ की कटौती के दावे से जुड़े यह रिकॉर्ड से पता नहीं लगाया जा सकता था कि निर्धारिती का प्राथमिक उद्देश्य अपने सदस्यों को ऋण और ऋण सुविधाएं प्रदान करना था या नहीं।

से 74 मामलों में निर्धारण अधिकारियों ने ₹ 79.76 करोड़ की कटौती की अनुमति देते हुए अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(i) के तहत निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने की जांच नहीं की थी।

3.2.2 इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा में जांच किए गए मामलों में से 12[53] राज्यों/क्षेत्रों में 115 मामले[54] (1,721 मामलों का 6.7 *प्रतिशत*) देखे जहां निर्धारण अधिकारियों ने अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(i) के तहत सहकारी गलत तरीके से कटौती की अनुमति दी थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 119.98 करोड़ की आय का कम निर्धारण और ₹ 49.82 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

115 मामलों में, जहां लेखापरीक्षा ने कटौती की अनुमति में गलतियां पाई, 93 *प्रतिशत* मामलों (अर्थात 107 मामले) को अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारित किया गया था। 95 मामलों, जहां संवीक्षा के प्रकार के बारे में सूचना उपलब्ध थी, में से 69 मामलों में संवीक्षा पूर्ण हुई और 26 मामलों में य संवीक्षा सीमित थी। यद्यपि अधिनियम की धारा 80पी के तहत दावा की गई अधिक कटौती के जोखिम मापदंड के आधार पर जांच के लिए मामलों का चयन किया गया था, तथापि लेखा परीक्षा में अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(i) के तहत कटौती की गलत अनुमति से जुड़ी गलतियां देखी गईं। गलत निर्धारण के ये मामलें आय की पात्रता की अपर्याप्त जांच और निर्धारण के दौरान दावों की स्वीकार्यता की ओर इशारा करते हैं।

अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(i) के तहत कटौती की अनियमित अनुमति सहकारी समिति के गैर-सदस्यों से अर्जित ब्याज, प्राथमिक सदस्यों के अलावा नाममात्र के सदस्यों से अर्जित ब्याज, सेवा शुल्क से आय, कमीशन से अर्जित आय और विविध शुल्क से अर्जित आय आदि के कारण थी। दो मामलों की नीचे व्याख्या की गई है:

---

53 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक और गोवा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल।

54 लेखा परीक्षा आपत्तियों में जेनेरिक जांच के अधीन मामलों के संबंध में लेखा परीक्षा में पाई गई अनियमितताएं और (जैसा कि पैरा 3.1.1 में चर्चा की गई है) और विशिष्ट जांचों के अधीन (जैसा कि इस अध्याय के पैरा 3.8 और पैरा 3.10 में चर्चा की गई है) शामिल हैं।

बॉक्स 3.1

अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(i) के तहत कटौती की गलत अनुमति का चित्रण

क) प्रभार: पीसीआईटी-कोझीकोड

निर्धारण वर्ष: 2016-17

निर्धारिती एक पीएसीएस ने शून्य आय के साथ अक्टूबर 2016 में अपनी आईटीआर दायर किया। शून्य आय पर दिसंबर 2018 में निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि नि.व. 2015-16 के लिए निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण पारस्परिकता के सिद्धांत की कमी के आधार पर और विभिन्न व्यय पर प्रावधानों की अनुमति न होने पर अधिनियम की धारा 80पी के तहत कटौती को अस्वीकृत करते हुए दिसम्बर 2017 में पारित किया गया था। किंतु, अधिनियम की धारा 80पी के तहत नि.व. 2016-17 के लिए आदेश पारित करते समय इसे अस्वीकार नहीं किया गया था। दो निर्धारण वर्षों के दौरान कोई समान मत नहीं लिया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.54 करोड़ के कर प्रभाव सहित अधिनियम की धारा 80पी के तहत ₹ 10.86 करोड़ की कटौती की अनियमित स्वीकृति हुई थी। आयकर विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2020)।

ख) प्रभार: पीसीआईटी-कटक

निर्धारण वर्ष: 2015-16

निर्धारिती एक सहकारी बैंक है और बैंकिंग कार्यकलापों से अपनी आय प्राप्त करता है। अधिनियम की धारा 143(1) के अंतर्गत सारांश प्रसंस्करण दिसंबर 2015 में शून्य आय के साथ पारित किया गया था। लेकिन, आईटीआर-5 की संवीक्षा से पता चला है कि निर्धारिती ने अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत ₹ 5.97 करोड़ की कटौती का दावा किया था। 01.04.2007 से प्रभावी अधिनियम की धारा 80पी के संशोधित प्रावधानों के अनुसार सहकारी बैंकों को अधिनियम की धारा 80पी के तहत कोई कटौती की अनुमति नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत ₹ 5.97 करोड़ की कटौती का अनियमित भत्ता मिला था जिसमें ₹ 2.23 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। आयकर विभाग ने लेखपरीक्षा आपत्ति (जुलाई 2019) को स्वीकार किया और कहा कि उपचारात्मक कार्रवाई की जा रही है।

3.2.3 पारस्परिकता के सिद्धांतों का पालन नहीं करना

पारस्परिकता के सिद्धांतों को, यद्यपि अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है, कई न्यायिक फैसलों[55] में दोहराया गया है।

97वें संविधान संशोधन (2011) में स्वैच्छिक गठन, लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण, सदस्य की आर्थिक भागीदारी और स्वायत्त कार्य-प्रणाली के सिद्धांतों पर सहकारी समितियों के कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान करने के लिए राज्य नियामक अधिनियमों को अनिवार्य किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न अवसरों[56] पर पारस्परिकता के सिद्धांत की कसौटी पर खरा बनने के लिए इन शर्तों को पूरा करने की बात दोहराई है। इस प्रकार, कानून और न्यायिक घोषणाओं से यह स्पष्ट होता है कि सहयोगी सदस्यों और नाममात्र के सदस्यों को दिए गए क्रेडिट सहकारी सिद्धांतों को पूरा नहीं करते हैं और इसलिए वे पारस्परिकता के सिद्धांत को पूरा नहीं करते हैं। इसलिए, अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(i) के अंतर्गत कटौती नाममात्र और सहयोगी सदस्यों को छोड़कर नियमित सदस्यों तक सीमित होनी चाहिए। इसके अलावा, यदि कोई समिति कुछ कार्यकलाप पारस्परिकता के आधार पर करती है और अन्य कार्यकलाप पारस्परिकता पर आधारित नहीं होते है, तो यह सिद्धांत केवल उन कार्यकलापों पर लागू होगा, जो पारस्परिक हैं।

लेखापरीक्षा में सहयोगी सदस्य के रूप में सदस्यों को स्वीकार करने के लिए विनियामक अधिनियमों में निर्धारित सीमा के साथ-साथ उपरोक्त निर्णयों के आलोक में कर्नाटक में ऋण सहकारी समितियों के 412 मामलों की जांच की गई। लेखा परीक्षा में पाया गया कि 83 मामलों में, जैसा कि नीचे वर्णन किया गया है, निर्धारण अधिकारियों ने पारस्परिकता की कसौटी पर अधीन किए बिना, अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती की अनुमति दी थी, जिससे ₹ 20.95 करोड़ कम उदग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 80पी के तहत ₹ 34.67 करोड़ की कटौती अनुमति करने के समान 35 मामले, जहां पारस्परिकता के परीक्षण लागू नहीं किए गए थे, विभिन्न

---

55 आयकर आयुक्त, बिहार वी बांकीपुर क्लब लिमिटेड, (1997) 226 आईटीआर 97 (एससी); बैंगलोर क्लब v. आयकर आयुक्त और एक अन्य, (2013) 350 आईटीआर 509 (एससी); सिटीजन को-ऑपरेटिव सोसायटी बनाम एसीआईटी (2017) 397 आईटीआर 1 (एससी) ।

56 आयकर आयुक्त, मद्रास बनाम कुंभकोणम म्यूचुअल बेनिफिट फंड लिमिटेड ने 07 मई 1964 53 आईटीआर 241 (एससी) पर फैसला किया; भारतीय चाय बागान मालिकों एसोसिएशन बनाम सीआईटी 82 आईटीआर, पी.322(कोलकाता.); बैंगलोर क्लब बनाम आयकर आयुक्त (सुप्रीम कोर्ट), सिविल अपील नंबर 125 2007, दिनांक - 14 जनवरी, 2013; सिटीजन को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड वी एसीआईटी (2017) 397 आईटीआर 1 (एससी) ।

अपीलीय प्राधिकरणों के पास लंबित हैं। त्रण सहकारी समितियों के संबंध में निर्धारण में पाई गई कमियों पर नीचे चर्चा की गई है:

क. लेखापरीक्षा में देखा गया कि 31 मामलों (24 विशिष्ट निर्धारितियों) में, निर्धारितियों ने नियामक अधिनियमों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नाममात्र और सहयोगी सदस्यों को दिए गए क्रेडिट से आय के लिए अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(i) के अंतर्गत कटौती का दावा किया है, जिसकी अनुमति आकलन अधिकारियों द्वारा दी गई है। इस प्रकार, निर्धारण अधिकारी या तो पारस्परिकता के सिद्धांत की पूर्णता की जांच नहीं कर रहे थे या कानून और न्यायिक घोषणाओं का उल्लंघन करते हुए नाममात्र और सहयोगी सदस्यों को नियमित सदस्यों के समकक्ष व्यवहार जारी रखे हुए थे।

ख. लेखापरीक्षा में देखा गया कि ऋण सहकारी समितियों के 81 मामलों (61 विशिष्ट निर्धारणकर्ताओं) में सदस्यों के साथ-साथ अन्य लोगों को ऋण देने के लिए, निर्धारण अधिकारियों ने उन्हें सहकारी बैंकों के साथ ऋण व्यवसाय में होने के रूप में बराबर कर दिया था और अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(i) के अंतर्गत दावा की गई कटौती को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया था, बजाय बाहरी ऋण से संबंधित भाग से अप्राप्य को सीमित करने के। इनमें से उनतीस मामले विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों के पास लंबित हैं।

ग. निर्धारण अधिकारियों के बीच इस मुद्दे को लेकर स्पष्टता की कमी प्रतीत होती है कि क्या कर्नाटक सौहार्द सहकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत समितियां आरओसीएस द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण और आईटीएटी[57] के फैसलों के बावजूद अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हैं, कि कर्नाटक सौहार्द सहकारी अधिनियम के तहत पंजीकृत सहकारी समितियां भी कटौती का दावा करने के लिए पात्र हैं। इस प्रकार, आयकर विभाग ने ऐसे मामलों में अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती को अस्वीकार करना जारी रखा। कर्नाटक सौहार्दसहकारी अधिनियम के तहत पंजीकृत क्रेडिट समितियों के छह मामलों में अधिनियम की धारा 80पी के तहत ₹ 12.41 करोड़ की कटौती की अस्वीकृति गलत थी और मामले अपीलीय अधिकारियों के पास लंबित थे।

57 उदयसौहरदा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड बनाम सीआईटी (आईटीए नंबर 2831/बैंग/2017, अगस्त 2018) [आईटीएटी बैंगलोर]

3.3 अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(iv) के अंतर्गत सहकारी समितियों को कटौती

अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(iv) के अंतर्गत एक सहकारी समिति अपने सदस्यों को आपूर्ति करने के प्रयोजनों के लिए कृषि उपकरणों, बीज, पशुधन या कृषि के लिए अभिप्रागत अन्य वस्तुओं की खरीद से पूरी आय में कटौती के लिए पात्र है।

3.3.1 लेखापरीक्षा ने अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(iv) के तहत कटौती का दावा करने वाली सहकारी समितियों की पात्रता निश्चित करने के लिए 79 मामलों[58] की जांच की।

लेखापरीक्षा ने दो[59] राज्यों में जांचे गऐ 79 मामलों में से 11 मामले ऐसे पाऐ जहां निर्धारण अधिकारियों ने कृषि उपकरणों के वितरण के स्थान पर खुदरा व्यापार से अर्जित लाभ के लिए कटौती अनुमति की। इसके परिणामत: ₹ 2.79 करोड़ की आय का निर्धारण हुआ और ₹ 1.16 करोड़ का कर कम उद्ग्रहित हुआ।

3.4 अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(vi) के अंतर्गत सहकारी समितियों की कटौती

अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(vi) के अंतर्गत इसके सदस्यों के श्रम के सामूहिक निपटान के कार्यकलापों से आय घटाई जाती है। यह धारा मुख्य रूप से श्रम सहकारी समितियों के लिए बनायी गयी है। इन समितियों में वे व्यक्ति शामिल होते हैं जो इसके माध्यम से श्रम के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्रम मैनुअल या कुछ तकनीकी या इसी तरह की अन्य सेवाएं हो सकती हैं। उड़ीसा उच्च न्यायालय के फैसले[60] के अनुसार अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(vi) के अंतर्गत अपने सदस्यों के श्रमिकों के सामूहिक निपटान की गतिविधि से आय घटाई जाती है।

3.4.1 लेखापरीक्षा ने अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(vi) के अंतर्गत कटौती का दावा करने वाली सहकारी समितियों की पात्रता का पता लगाने के लिए 41 मामलों की जांच की।

क. लेखा परीक्षा ने पाया कि 38 मामलों[61] में अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(vi) के अंतर्गत अपने सदस्यों के वास्तविक श्रम के उपयोग

58 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, एनडब्ल्यूआर, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल।

59 गोवा, कर्नाटक

60 नीलगिरी इंजीनियरिंग को-ऑप सोसायटी लिमिटेड वी सीआईटी [1994] 208 आईटीआर 326 (उड़ीसा)

61 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल

के माध्यम से श्रम के सामूहिक निपटान से ₹ 56.71 करोड़ की आय पर ₹ 6.48 करोड़ की कटौती का दावा किया गया था। इन 38 मामलों में से 28 मामलों[62] में निर्धारण अधिकारियों ने अपने सदस्यों के वास्तविक श्रम के उपयोग के माध्यम से श्रम के सामूहिक निपटान से अर्जित आय पर अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(vi) के तहत ₹ 6.48 करोड़ की कटौती के पूरे दावे की अनुमति दी थी। एक मामले[63] में कर निर्धारण अधिकारी ने ₹ 0.63 करोड़ के कुल दावे में से ₹ 0.20 करोड़ की कटौती के दावे को आंशिक रूप से अनुमत किया था। आठ मामलों[64] में कर निर्धारण अधिकारियों ने अपने सदस्यों के वास्तविक श्रम के उपयोग के माध्यम से श्रम के सामूहिक निपटान से होने वाली आय पर अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(vi) के तहत दावा किए गए ₹ 6.66 करोड़ की कटौती के पूरे दावे को अस्वीकार कर दिया था।

ख. लेखा परीक्षा में पाया गया कि 2 मामलों[65] में वैतनिक कर्मचारियों द्वारा फील्ड में कार्य का पर्यवेक्षण किया गया था, उन मामलों में श्रम के सामूहिक निपटान के कार्यकलाप से ₹ 1.04 करोड़ की अधिनियम आय की धारा 80पी(2)(ए)(vi) के अंतर्गत कटौती का दावा किया गया था, निर्धारण अधिकारी ने एक मामले में ₹ 0.65 करोड़ की कटौती अनुमत की थी जबकि दूसरे मामले में अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(vi) के तहत ₹ 0.39 करोड़ की कटौती के पूरे दावे को अस्वीकार कर दिया गया था।

ग. लेखापरीक्षा में एक ऐसा मामला[66] पाया गया जिसमें अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(vi) के अंतर्गत दावा किए गए ₹0.46 लाख की कटौती को उन मामलों में श्रम के सामूहिक निपटान के कार्यकलाप से होने वाली आय पर अननुमत किया गया जहां न केवल सदस्य बल्कि बड़ी संख्या में गैर-सदस्य भी श्रम के सामूहिक निपटान में योगदान दे रहे थे।

निर्धारण अधिकारियों ने अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(vi) के अंतर्गत कटौती के दावे की पात्रता का निर्धारण करते समय अंतरपूर्ण रुख अपनाया,

---

62 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल

63 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, महाराष्ट्र

64 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु

65 ओड़िशा

66 पश्चिम बंगाल

जैसे कि इसके सदस्यों के वास्तविक श्रम के उपयोग के माध्यम से श्रम के सामूहिक निपटान से अर्जित आय और उन मामलों में श्रम के सामूहिक निपटान की गतिविधि से आय जहां वैतनिक कर्मचारियों द्वारा क्षेत्र में कार्य का पर्यवेक्षण किया गया था। ऐसी आय पर दावों की अनुमति की जांच किए जाने की आवश्यकता है ताकि इसी प्रकार के मामलों में निर्धारण की एकरूपता सुनिश्चित की जा सके।

3.4.2 इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने कर्नाटक में जांचे गये 41 मामलों में से दो मामले देखे जिनमें निर्धारण अधिकारियों ने अपने सदस्यों के श्रम के सामूहिक निपटान के लिए गलत तरीके से कटौती को अनुमत किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.34 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ और ₹ 0.13 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। एक मामला नीचे सोदाहरण दिया गया है।

बॉक्स 3.2

अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(vi) के अंतर्गत कटौती के गलत अनुमतिकरण के सोदाहरण मामले

प्रभार: पीसीआईटी-4, बेंगलुरु

नि.व.: 2015-16

यह पाया गया कि सदस्यता में 595 नियमित सदस्य (रक्षा कर्मी और पूर्व सैनिक या उनके पति या पत्नी), 223 सहयोगी सदस्य (ऊपर के रूप में एक ही बिरादरी से लेकिन कर्नाटक के बाहर निवासी) और 275 नाममात्र के सदस्य (कोई व्यक्ति या संगठन जो समाज के साथ व्यापारिक व्यवहार करने का इरादा रखता है) शामिल थे। तीनों श्रेणियों के कुछ ही सदस्यों को सुरक्षाकर्मी के रूप में तैनात किया गया था। इस प्रकार, अधिनियम द्वारा परिकल्पित श्रम के सामूहिक निपटान के प्रति केवल सीमित संख्या में सदस्य श्रम में योगदान दे रहे थे और निर्धारिती अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(vi) के अंतर्गत कटौती का दावा करने का पात्र नहीं था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.19 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ और ₹ 0.08 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

3.5 अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(vii) के अंतर्गत सहकारी समितियों को कटौती

अधिनियम की की धारा 80पी(2)(ए)(vii) यह परिकल्पना करती है कि एक निर्धारिती के मामले में, एक सहकारी समिति होने के नाते, जहां सकल कुल आय मछली पकड़ने या संबद्ध कार्यकलापों से कोई भी आय शामिल है (पकड़ने, इलाज, प्रसंस्करण, मछली के संरक्षण, भंडारण या मछली के विपणन या उसके संबंध में सामग्री और उपकरणों की खरीद के लिए उन्हें अपने सदस्यों को आपूर्ति के उद्देश्य के लिए) लाभ और व्यापार के लाभ की राशि की पूरी कटौती की जाएगी, बशर्ते समाज के नियम और उपनियम उन व्यक्तियों को मताधिकार सीमित करें जो मछली पकड़ने या संबद्ध कार्यकलापों को जारी रखते हैं ।

3.5.1 लेखापरीक्षा ने अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(vii) के अंतर्गत कटौती का दावा करने वाली सहकारी समितियों की पात्रता का पता लगाने के लिए 12 मामलों[67] की जांच की।

क. **मछली पकड़ने और संबद्ध गतिविधियों के लिए सामग्री और उपस्करों की खरीद:** लेखा परीक्षा में पाया गया कि 12 मामलों[68] में ₹ 9.47 करोड़ की कटौती को अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(vii) के अंतर्गत किए गए दावे के आधार पर निर्धारण सहकारी समितियों द्वारा मछली पकड़ने और संबंध कार्यकलापों से अर्जित ₹ 15.16 करोड़ की आय पर अनुमत किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन मामलों[69], जिनमें मछली पकड़ने और संबंध कार्यकलापों के लिए सामग्री और उपकरण की खरीद हेतु ₹ 5.33 करोड़ की कटौती के दावे शामिल थे, में इसके सदस्यों को आपूर्ति की गई जबकि चार मामले[70] जिनमें ₹ 1.88 करोड़ की कटौती शामिल थी, वहां खरीद उसके सदस्यों को आपूर्ति के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है। तीन मामले[71] जिनमें ₹ 6.56 करोड़ के दावे शामिल थे, उनमें लेखा बहियों के अनुसार सदस्यो की बिक्री हेतु कोई खरीद नहीं की गई थी। ₹ 1.39 करोड़ के दावे वाले शेष दो मामलों[72] में उपलब्ध अभिलेखों से मतस्य कार्यकलापों के लिए की गई खरीद के विवरण का पता नहीं लगाया जा सका है।

---

67 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल

68 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल

69 गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक।

70 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल।

71 दिल्ली

72 कर्नाटक

तालिका 3.3: अधिनिमय की धारा 80पी(2)(ए)(vii) के अंतर्गत कटौती का दावा

(₹ करोड़ में)

अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(vii) के अंतर्गत कटौती का दावा			**अपने सदस्यों को आपूर्ति के लिए बनाए गए सामान और उपकरण की खरीद (मछली पकड़ने और अनुषंगी गतिविधियों के लिए)**		**अपने सदस्यों की आपूर्ति के लिए खरीदारी नहीं की गई**		
मामलों की सं.	दावा की गई कटौती की राशि	अनुमत की गई कटौती की राशि	मामलों की सं.	दावा की गई कटौती की राशि	मामलों की सं.	दावा की गई कटौती की राशि	अनुमत की गई कटौती की राशि
12	15.16	9.47	3	5.33	4	1.88	1.32

ख. **मछली पकड़ने और संबद्ध गतिविधियों से आय पर कटौती की अनुमति:** लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 12 मामलों में से 06 मामलों[73] में फिशिंग और अनुषंगी गतिविधियों से आय पर अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(vii) के अंतर्गत ₹ 7.54 करोड़ की कटौती के संपूर्ण दावे को अनुमत किया गया। इनमें से, ₹ 4.84 करोड़ की कटौती के दावे वाले दो मामलों में सामग्री और उपकरण (मछली पकड़ने और संबद्ध गतिविधियों के लिए) की खरीद उसके सदस्यों को आपूर्ति के लिए की गई थी, दो मामलों में ₹ 1.31 करोड़ की कटौती की अनियमित अनुमति दी गई थी (जैसा की पैरा 3.5.2 में चर्चा की गई है) जहां खरीद, सदस्यों को आपूर्ति के लिए नहीं थी, जबकि बाकी दो मामलों में ₹ 1.39 करोड़ की कटौती का दावा शामिल है जिसे सुनिश्चित नहीं किया जा सका। 12 में से 5 मामलों में, ₹ 7.22 करोड़ के कुल दावे के प्रति ₹ 1.97 करोड़ की कटौती के दावे को अंशत: अनुमति दी गई थी जबकि एक मामले में ₹ 0.44 करोड़ का संपूर्ण दावा अननुमत किया गया था क्योंकि कटौती का दावा आयोग्य आय अर्थात बायो-डीजल की बिक्री से आय पर किया गया था।

ग. **सदस्यों के मताधिकार:** अधिनियम की धारा 80पी की उपधारा (vii) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि समितियों के लिए कटौती इस शर्त पर उपलब्ध होगी कि समिति के नियम और उप-नियम मताधिकार को

73 गुजरात और कर्नाटक

उसके सदस्यों के विशिष्ट वर्गों तक सीमित करेंगे। अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(vii) के अंतर्गत कटौती के दावे में शामिल 12 मामलों में से, ₹ 1.92 करोड़ की कटौती के दावे के चार मामलों[74] में मताधिकार उसके सदस्यों के निम्नलिखित वर्गो तक सीमित थे अर्थात वे व्यक्ति जो मछली पकड़ने और अनुषंगी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे थे, सहकारी ऋण समितियां जो समिति और राज्य सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कर रही थी। ₹ 1.44 करोड़ के दावे वाले मताधिकार सदस्यों तक सीमित नहीं थे जबकि शेष पांच मामलों में सहकारी समितियों में मताधिकारों का आबंटन अभिलेखों से सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

3.5.2 कर्नाटक (प्र. सीआईटी, मैंगलोर) में तीन मामलों में, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(vii) के अंतर्गत कटौती मछुआरा सहकारी समितियों तक विस्तारित थी यद्यपि समितियों ने मताधिकारों को मछली पकड़ने और अनुषंगी गतिविधियों को करने वाले व्यक्तियों तक सीमित नहीं किया था। इस गलत अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 1.44 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ और ₹ 0.58 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ। एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

बॉक्स 3.3

अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(vii) के अंतर्गत कटौती की गलत अनुमति का निदर्शी मामला

क) प्रभार: प्र.सीआईटी, मैंगलौर

नि.व. : 2015-16

जुलाई 2017 के दौरान रिटर्न आय को स्वीकारते हुए निर्धारिती सहकारी समिति के संवीक्षा निर्धारण को पूर्ण किया गया था, जबकि ₹ 0.96 करोड़ की कटौती की अनुमति दी गई।

समिति के उप-नियमों में तीन वर्गों के सदस्यों के लिए प्रावधान किया गया है जो निम्न हैं:

सदस्यों की श्रेणी	योग्यता मानदंड	शेयर पूंजी	अधिकार
क वर्ग	जाल डालने व मछली पकड़ने की नौका के मालिक व सहयोगी	500	सभी अधिकार

74 दिल्ली (3) और कर्नाटक (1)

ख वर्ग	राज्य सरकार	1000	
ग वर्ग	मछली पकड़ने में संलग्न व्यक्ति और समिति के साथ परिचालित व्यक्ति	100	डिपोजिट करने और ऋण प्राप्त करने के अलावा उन्हें कोई अन्य अधिकार नहीं हैं।

इस प्रकार, वैयक्तिक मछुआरों को 'ग' वर्ग सदस्य के रूप में बिना मताधिकार के शामिल किया गया और मताधिकार केवल 'क' वर्ग में शामिल सदस्यों तक सीमित है। अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(vii) के अधीन परंतुक के अनुसार कटौती सहकारी समिति के लिए अनुमति योग्य है बशर्ते समिति के नियम और उप-नियम के मताधिकार को सदस्यों तक सीमित करते है। चूंकि अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(vii) के अंतर्गत शर्त पूरी नहीं की गई, ₹ 0.96 करोड़ की कटौती की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 0.39 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ। आयकर विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2020)।

3.6 अधिनियम की धारा 80पी(2)(डी) के अंतर्गत सहकारी समितियों की कटौती

सहकारी समिति द्वारा किसी अन्य सहकारी समिति में अपने निवेशों से प्राप्त संपूर्ण ब्याज और लाभांश अधिनियम की धारा 80पी(2)(डी) के अंतर्गत कटौती योग्य है। इस खंड के प्रावधान बहुत स्पष्ट हैं और शर्तें स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं। हालांकि 'संपूर्ण ब्याज और लाभांश' शब्द मुकद्दमेबाजी का विषय रहा है। इस मामले पर निर्णय इंगित करते हैं कि कटौती निवर्तमान को समायोजित किए बिना संपूर्ण आय के लिए है।

3.6.1 लेखापरीक्षा में अधिनियम की धारा 80पी(2)(डी) के अंतर्गत कटौती का दावा करने वाली सहकारी समितियों की योग्यता को सुनिश्चित करने के लिए 553 मामलों की जांच की।

क. लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 14 राज्यों/क्षेत्रों[75] में 553 मामलों में ₹ 455.63 करोड़ की कटौती की अनुमति दी गई, जो कि अधिनियम की धारा 80पी(2)(डी) के अंतर्गत सहकारी बैंकों में निवेश से ब्याज के आधार पर ₹ 655.48 करोड़ की आय के दावों के आधार पर की गई थी।

75 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर), राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

ख. 553 मामलों में से, 126 मामलों में निर्धारण अधिकारियों ने सहकारी बैंको में निवेश से प्राप्त ₹ 150.31 करोड़ की ब्याज आय पर कटौती के संपूर्ण दावे को खारिज कर दिया था। 347 मामलों में ₹ 366.15 करोड़ के संपूर्ण दावे को अनुमति दी गई थी जबकि 79 मामलों में ₹ 136.47 करोड़ के दावे के प्रति ₹ 86.93 करोड़ की आशिंक अनुमति दी गई थी। अधिनियम की धारा 80पी(2)(डी) के अंतर्गत कटौती के दावे को अननुमत करते समय निर्धारण अधिकारियों ने न्यायिक निर्णयों[76] के अनुसार निर्णय पर भरोसा रखा था। अधिनियम की धारा 80पी(2)(डी) में शामिल अन्य बातों के साथ-साथ अननुमति का कारण जो प्राथमिक कृषि ऋण समाज के अलावा अन्य सहकारी बैंको और ग्रामीण विकास बैंको पर लागू नहीं है, अन्य सहकारी समितियों के साथ अधिशेष धन में निवेश से अर्जित ब्याज आय अधिनियम की धारा 80पी(2)(डी) के अंतर्गत कटौती के दावे के योग्य नहीं थी, सहकारी बैंको से ब्याज आय, लाभ और हानि लेखाओं और अन्य निर्धारण अभिलेखों में नहीं दिखाई गई थी, नाबार्ड बांड्स आदि पर प्राप्त ब्याज पर कटौती का दावा किया गया था। लेखापरीक्षा ने यह पाया गया कि आठ मामलों[77] में ₹ 1.97 करोड़ के दावे की अननुमति को हटा दिया गया था और निर्धारितियों को अपील के विभिन्न चरणों में आईटीएटी पर या सीआईटी (अपील) द्वारा कटौती दावे की अनुमति दी गई थी।

3.6.2 निर्धारण अधिकारियों द्वारा लिया गया पृथक निर्णय: लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि निर्धारण अधिकारियों सहकारी बैंकों में अपने निवेशों से सहकारी समितियों द्वारा अर्जित ब्याज आय के प्रतिपादन के संबंध में अलग-अलग निर्णय ले रहे थे। कर्नाटक में, 49 मामलों में, सहकारी समितियो ने अर्जित ब्याज की घोषणा अन्य स्रोतों से आय के रूप में की, जबकि 50 मामलों में, निर्धारितियों ने उन्हें व्यावसायिक आय के रूप में माना है, जिन्हें निर्धारण अधिकारियों द्वारा अनुमति दी गई थी। महाराष्ट्र में, निर्धारण अधिकारियों ने अधिनियम की धारा 80पी(2)(डी) के अंतर्गत कटौती की अनुमति देते हुए 6 मामलों (3 निर्धारितियों) में अलग-अलग निर्णय लिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.72 करोड़ का कर प्रभाव था। दो निर्धारितियों के

76 प्र. सीआईटी, हुबली बनाम टोटागढ़ सहकारी बिक्री समिति [83 टेक्समेन. कॉम 140 (कर्नाटक उच्च न्यायालय, 2017), एसबीआई कर्मचारी सहकारी जमा और पूर्ति समिति लिमिटेड बनाम सीआईटी अहमदाबाद-1[57 टेक्समेन. कॉम 367 (आईटीएटी अहमदाबाद, 2015)] और गुजरात स्टेट सहकारी बैंक लिमिटेड [250 आईटीआर 229 (गुजरात उच्च न्यायालय, 2000)]

77 गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश

मामलें में, सहकारी बैंको से अर्जित ब्याज रूपी आय को अधिनियम की धारा 80पी(2)(डी) के तहत एक नि.व. में कटौती की अनुमति दी गई थी हालांकि किसी अन्य नि.व. में उसी कटौती को अस्वीकार कर दिया गया था जिसमें सहकारी बैंको में निवेश से अर्जित आय का निर्धारण शीर्ष "अन्य स्रोत से आय" के तहत किया गया था। साथ ही, सहकारी बैंको से अर्जित आय को अधिनियम की धारा 80पी(2)(डी) के तहत एक नि.व. में कटौती की अनुमति दी गई थी जबकि गैर-सदस्यों से जमा प्राप्ति के लिए अधिनियम की धारा 263 के तहत आदेश द्वारा कटौती को किसी अन्य नि.व. में अस्वीकार कर दिया गया था। एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

बॉक्स 3.4

निर्धारण अधिकारियों द्वारा लिए गए पृथक निर्णय का निदर्शी मामला

क) प्रभार: प्र. सीआईटी-20 मुम्बई

नि.व.: 2013-14

नि.व. 2013-14 के लिए फरवरी 2016 में अधिनियम की धारा 80(2)(डी) के तहत सहकारी बैंकों में निवेश से अर्जित ₹ 1.58 करोड़ के ब्याज के आधार पर कटौती की अनुमति के बाद अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारिती के संवीक्षा निर्धारण को पूर्ण किया गया। निर्धारिती सहकारी समिति ने अपने सदस्यों को ऋण सुविधा प्रदान करने आर गैर-सदस्यों से जमा सवीकार करके अपनी आय प्राप्त की। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि निर्धारिती को गैर-सदस्यों से जमा प्राप्ति के लिए अधिनियम (मार्च 2019) की धारा 263 के अंतर्गत आदेश द्वारा नि.व. 2014-15 में अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती से इन्कार किया गया था। मामलों के तथ्य समान होने के कारण, नि.व. 2013-14 के दौरान भी किसी कटौती की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। गलत अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 0.49 करोड़ का कर प्रभाव हुआ। आयकर विभाग का जवाब प्रतीक्षित है (फरवरी 2020)।

3.6.3 लेखापरीक्षा ने जांच किए गए मामलों में से 12 राज्यों[78] में 367 मामलें[79] देखें जहां निर्धारण अधिकारियो ने सहकारी समितियों द्वारा अर्जित

78 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, कर्नाटका और गोवा, केरला, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, ओडिशा, तमिलनाडू, पश्चिम बंगाल।

79 इन आपत्तियों में लेखापरीक्षा के नमूने (जैसा कि पैरा 3.6.1 में चर्चा की गई है) की सामान्य जांच के साथ-साथ इस अध्याय के पैरा 3.8 और 3.10 में चर्चा किए गए नमूने पर लागू विशिष्ट जांच के आधार पर की गई लेखापरीक्षा आपत्तियां शामिल हैं।

ब्याज आय के लिए गलत तरीके से कटौती की अनुमति दी थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 368.84 करोड़ का कम निर्धारण हुआ और ₹ 145.64 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ।

367 मामलों में, जहां लेखापरीक्षा ने कटौती की अनुमति में त्रुटियों को पाया, 89.6 *प्रतिशत* (अर्थात 329) मामलों का निर्धारण संवीक्षा अर्थात अधिनियम की धारा 143(3) के अधीन किया गया था। 329 मामलों में से, 232 मामलों में संवीक्षा को पूर्ण किया गया था और 46 मामलों में यह सीमित थी जबकि शेष 51 मामलों में संवीक्षा के प्रकार को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। सीमित संवीक्षा के तहत जांच किए गए 46 मामलों में से, 33 मामलों में जांच के लिए मामलों के चयन का मानदंड "अध्याय VI-ए के तहत दावा की गई बड़ी कटौती" पर आधारित था। यह देखा जा सकता है कि लेखापरीक्षा में गलतियों को देखा गया जिसमें अधिनियम की धारा 80पी(2)(डी) के अंतर्गत कटौती की गलत अनुमति को शामिल किया गया था, ऐसे मामलों में भी जिन्हें अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत दावा किए गए बड़ी कटौती के जोखिम पैरामीटर के आधार पर जांच के लिए चुना गया था। गलत निर्धारण के ये मामले आय की पात्रता की अपर्याप्त जांच और निर्धारण के दौरान दावों की स्वीकार्यता की ओर इशारा करते हैं।

तीन निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं:

बॉक्स 3.5

अधिनियम की धारा 80पी(2)(डी) के अंतर्गत कटौती की गलत अनुमति का निदर्शी मामला।

क) प्रभार: प्र. सीआईटी-1, भोपाल
निर्धारण वर्ष: 2016-17

निर्धारिती के संवीक्षा निर्धारण को अधिनियम की धारा 143(3) के अंतर्गत दिसंबर 2018 में शून्य आय निर्धारित करते हुए पूर्ण किया गया। निर्धारिती ने अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत दिनांक 31.03.2018 को ₹ 9.82 करोड़ की कटौती का दावा करते हुए 'शून्य' आय पर नि.व. 2016-17 के लिए आय पर रिटर्न को दायर किया। लेखापरीक्षा जांच में यह पता चला कि निर्धारण अधिकारी ने ₹ 9.82 करोड़ की कटौती की अनुमति दी जिसमें सहकारी बैंक/अनुसूचित बैंक से प्राप्त ब्याज के आधार पर अधिनियम की धारा 80पी(2)(डी) के अंतर्गत कटौती शामिल है। जैसा कि सहकारी

बैंक/अनुसूचित बैंक से प्राप्त ब्याज की राशि ₹ 9.82 करोड़ अधिनियम की धारा 80पी(2)(डी) के अंतर्गत अनुमति योग्य कटौती नहीं है, इसे अननुमत किए जाने की आवश्यकता थी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 9.82 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसके फलस्वरूप ₹ 5.06 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ।

आयकर विभाग ने अपने उत्तर में यह बतलाया कि सहकारी समिति से प्राप्त ब्याज अधिनियम की धारा 80पी(2)(डी) के अंतर्गत छूट प्राप्त है और सहकारी बैंक आरओसीएस के साथ पंजीकृत सहकारी समितियां हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सहकारी समितियां केवल सदस्यों के लिए कार्य करती हैं और सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। हालांकि, सहकारी बैंक व्यावसायिक बैंकिंग कार्यकलापों में संलग्न थे जो गैर-सदस्यों को भी ऋण देने और जमा राशि लेने में शामिल हैं। अभिलेखों में इस तथ्य पर भी चर्चा नहीं की गई है। इसके अलावा, आयकर विभाग ने सहकारी बैंको से अधिनियम की धारा 80पी के लाभों को भी वापस ले लिया था। इसलिए, सहकारी बैंको या अन्य बैकों में जमा या निवेश से निर्धारिती द्वारा अर्जित ब्याज अधिनियम की धारा 80पी(2)(डी) के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमति योग्य नहीं हैं।

ख) प्रभार: प्र. सीआईटी-2 जयपुर

निर्धारण वर्ष: 2015-16

नि.व. 2015-16 के लिए एक एओपी के संवीक्षा निर्धारण को ₹ 3.06 करोड़ के उपलब्ध लाभ की सीमा तक, अधिनियम की धारा 80पी(2)(डी) के अंतर्गत ₹ 4.15 करोड़ की कटौती की अनुमति के बाद 'शून्य' रिटर्न आय पर दिसंबर 2017 में पूर्ण किया था। लेखापरीक्षा जांच में यह पता चला कि सहकारी बैंक के साथ एफडीआर पर ₹ 3.69 करोड़ की ब्याज राशि अर्जित की गई थी जो अधिनियम की धारा 80पी(2)(डी) के प्रावधानों के दायरे में नहीं आती और अनुमति योग्य नहीं थी। हालांकि प्रावधान के अनुसार निर्धारिती के ₹ 0.45 करोड़ अनुमति योग्य थे। ₹ 3.69 करोड़ की कटौती की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 1.03 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 2.61 करोड़ (₹ 3.06 करोड़ - ₹ 0.45 करोड़) की आय की कम गणना हुई, अधिनियम की धारा 244 के अंतर्गत ₹ 0.11 करोड़ के ब्याज को वापस लिया जाना था और अधिनियम की धारा 234घ के अंतर्गत ₹ 0.03 करोड़ प्रभार्य थे। आयकर विभाग का जवाब प्रतीक्षित है (मार्च 2020)।

3.7 अधिनियम की धारा 80पी(2)(ई) के अंतर्गत सहकारी समितियों को कटौती

अधिनियम की धारा 80पी(2)(ई) के अनुसार,सहकारी समितियों द्वारा प्रसंस्करण या वस्तुओं के विपणन की सुविधा प्रदान करने हेतु गोदामों या भंडारागारों को किराए पर देने से प्राप्त किसी भी आय के संबंध में कटौती अनुमति योग्य है। यह न्यायिक रूप से निर्णय[80] लिया गया है कि वस्तुओं के भंडारण, प्रसंस्करण या विपणन सुविधा के लिए गोदामों या भंडारागारों को किराए पर देने से एक सहकारी समिति को प्राप्त आय अधिनियम की धारा 80पी(2)(ई) के अंतर्गत कटौती योग्य है।

3.7.1 लेखापरीक्षा में 11 राज्यों[81] में 38 मामलों की जांच की गई ताकि अधिनियम की धारा 80पी(2)(ई) के अंतर्गत कटौती का दावा करने वाली सहकारी समितियों की योग्यता सुनिश्चित की जा सके। 38 मामलों में से 32 मामलों[82] में निर्धारिती ने अधिनियम की धारा 80पी(2)(ई) के अंतर्गत वस्तुओं के भंडारण, प्रसंस्करण या विपणन सुविधा के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए गोदाम या भंडारागार के किराए पर देने से व्युत्पन्न आय पर कटौती का दावा किया था; 5 मामलों[83] में दावा केवल विपणन उद्देश्य के लिए भंड़ारण को किराए पर देने के लिए व्युत्पन्न आय पर किया गया था और एक मामले[84] में गोदाम में माल के भंडारण से प्राप्त आय पर कटौती का दावा किया गया था।

यह देखा गया था कि अधिनियम की धारा 80पी(2)(ई) के अंतर्गत कटौती के दावे के निर्धारण के दौरान 38 मामलों में से 15 मामलों में ₹ 10.34 करोड़ के संपूर्ण दावे की अनुमति दी गई थी,18 मामलों में ₹ 35.13 करोड़ के संपूर्ण दावे की अननुमति दी गई थी जबकि पांच मामलों में ₹ 45.39 करोड़ के कुल दावे के प्रति ₹ 35.75 करोड़ के आंशिक दावे की अनुमति दी गई थी।

3.7.2 लेखापरीक्षा ने गुजरात में जांच किए गए 38 मामलों में से पांच मामलें देखे जहां निर्धारिती ने वस्तुओं के विपणन की सुविधा या भंडारण, प्रसंस्करण के लिए गोदाम या भंडारागार को किराए पर देने के अलावा अन्य स्रोतों से अर्जित किराया आय के लिए कटौती को अनुमति दी थी। इसके

---

80 *सीआईटी बनाम जिला सहकारी फेडरेशन [2004] 271 आईटीआर 22 (सभी)।*

81 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, एनईआर, एनडब्ल्यूआर, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

82 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, एनईआर, एनडब्ल्यूआर, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

83 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश।

84 मध्य प्रदेश

परिणामस्वरूप ₹ 0.30 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ और ₹ 0.12 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ।

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

बॉक्स 3.6

अधिनिमय की धारा 80पी(2)(ई) के अंतर्गत कटौती की गलत अनुमति का निदर्शी

क) प्रभार: प्र. सीआईटी-3, अहमदाबाद
नि.व.: 2013-14 और 2014-15

निर्धारिती ने अक्तूबर 2013 और अक्तूबर 2014 में क्रमश: नि.व. 2013-14 और नि.व. 2014-15 के लिए शून्य पर आय का रिटर्न दायर किया। अधिनियम की धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारिती के संवीक्षा निर्धारण को नवंबर 2015 और दिसंबर 2016 में रिटर्न की गई आय को स्वीकारते हुए क्रमश: नि.व. 2013-14 और नि.व 2014-15 के लिए पूर्ण किया गया था।

लेखापरीक्षा जांच में यह पता चला कि निर्धारिती ने नि.व. 2013-14 के दौरान ₹ 16.87 करोड़ और नि.व. 2014-15 के दौरान ₹ 13.03 करोड़ की कटौती का दावा किया जिसमें ₹ 0.14 करोड़ (नि.व. 2013-14) और ₹ 0.15 करोड़ (नि.व. 2014-15) की किराया आय शामिल है। जैसा कि किराया अनुमति योग्य कटौती नहीं है तो इसे अननुमत किए जाने की आवश्यकता थी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप नि.व. 2013-14 और नि.व. 2014-15 के लिए क्रमश: ₹ 0.14 करोड़ और ₹ 0.15 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 0.06 करोड़ और ₹ 0.06 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ। आयकर विभाग का जवाब प्रतीक्षित है (जून 2020)।

3.8 सहकारी समितियों के निर्धारणों के मामले में अननुमति

लेखापरीक्षा ने 222 मामलों[85] में अननुमति के कारणों की जांच करने का प्रयास किया जहां निर्धारिती द्वारा किए गए संवर्धन, अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत ₹ 259.06 करोड़ की राशि के कटौती दावे के समान थे। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि एक मामले[86] में अधिनियम की धारा 80पी के

85 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, एनईआर, एनडब्ल्यूआर, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

86 मध्य प्रदेश

अंतर्गत ₹ 0.50 लाख की कटौती के संपूर्ण दावे की अनुमति दी गई थी। 13 राज्यों[87] के 221 मामलों में, अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती के दावे को या तो पूर्णत: या आंशिक रूप से अननुमत किया गया था। 210 मामलों[88] (94.6 *प्रतिशत*) में ₹ 125.79 करोड़ की राशि के संपूर्ण दावे को अननुमत किया गया था जबकि 11 मामलों[89] (5 *प्रतिशत*) में ₹ 130.66 करोड़ की राशि के दावे को आंशिक रूप से अननुमत किया गया था।

लेखापरीक्षा में यह पता चला कि 221 मामलों में, जहां निर्धारण अधिकारी ने (पूरी तरह या आंशिक रूप से) अननुमत किया था, 111 मामलों[90] में निर्धारितियों को सहकारी समितियों के लिए स्वीकार्य कटौती के दावे के लिए अयोग्य माना गया था क्योंकि वे बैंकिंग गतिविधियों में शामिल थे; सात मामलों[91] में निर्धारितियों को गैर- प्राथमिक कृषि ऋण समाज माना गया था जबकि 24 मामलों[92] में अयोग्य आय अर्थात व्यावसायिक गतिविधि से आय या सहकारी क्षेत्र के अलावा अन्य बैंकों में निवेश से अर्जित आय पर दावा किया गया था। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती की अननुमति निर्धारिती के कारण थी जो सहकारी समितियों के लिए अधिनियम में सूचीबद्ध गतिविधियों में शामिल नहीं थे या प्रमुख गतिविधि या व्यापार की तुलना में सीमित सीमा तक विशेष गतिविधि में लगे हुए थे। इसने अधिनियम में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा न करने वाली और संस्थाओं को गलत तरीके से लाभ लेने का दावा करने वाली संस्थाओं के मुख्य जोखिम को दर्शाया, जिससे सहकारी क्षेत्र के विकास को सुविधाजनक बनाने के विधायी इरादे के साथ कर शुरू किए गए प्रावधान का संभावित दुरूपयोग हुआ।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 221 मामलों, जहां अननुमति अन्य बातों के साथ इस आधार पर की गई थी कि निर्धारिती बैंकिंग व्यवसाय में लगा था या अयोग्य आय अर्थात राष्ट्रीयकृत बैंको से अर्जित ब्याज पर कटौती का दावा किया गया था या निर्धारिती पीएसीएस के रूप में काम नहीं कर रहा है, में से 47 मामलों में निर्धारितियों ने कानूनी कार्यवाही का सहारा लिया। 47 मामलों

87 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ओडिशा, एमपी, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, एनडब्ल्यूआर, राजस्थान, एनईआर, यूपी और पश्चिम बंगाल

88 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ओडिशा, एमपी, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, एनडब्ल्यूआर, राजस्थान, एनईआर, यूपी और पश्चिम बंगाल

89 गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ओडिशा

90 गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, एनईआर, राजस्थान और तमिलनाडु

91 केरल

92 गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल।

में से 32 मामलों[93] में सीआईटी (अपील) द्वारा निर्धारिती के पक्ष में अनुमति दी गई थी, एक मामलें[94] में निर्धारिती के पक्ष में आंशिक अनुमति दी गई थी और 14 मामलें[95] सीआईटी (अपील) के समक्ष मुकदमेबाजी में लंबित थे। इस प्रकार, आयकर विभाग द्वारा की गई अननुमति न्यायालय में ठहर नहीं सकी।

लेखापरीक्षा ने 05 मामलों[96] में यह पाया कि ₹ 1.14 करोड़ के कर प्रभाव सहित अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती की अनियमित अनुमति दी गई। इन त्रुटियों को अननुपालना के मामलों में शामिल किया गया है जैसा इस अध्याय के पैरा 3.2 से 3.7 में चर्चा की गई है।

3.9 बैंकिंग गतिविधियों में संलग्न सहकारी क्षेत्र में निर्धारितियों के निर्धारण में गैर-एकरूपता

बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के अनुसार, सहकारी बैंकों से तात्पर्य राज्य सहकारी बैंको (एससीबी), केन्द्रीय सहकारी बैंको (सीसीबी) और प्राथमिक सहकारी बैंको (पीसीबी) से है। अधिनियम की धारा 80पी(4) के अनुसार अधिनियम की धारा 80पी के प्रावधान एक पीएसीएस या एक प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अलावा किसी भी सहकारी बैंक के संबंध में लागू नहीं होंगे।

लेखापरीक्षा ने सहकारी क्षेत्र के 336 निर्धारण मामलों की जांच की जहां निर्धारिती, ग्रामीण बैंकिग, कृषि और ग्रामीण विकास बैंकिंग और भूमि विकास बैंकिग में लगे हुए थे। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि निर्धारण अधिकारियों ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको, भूमि विकास बैंको और कृषि और ग्रामिण बैंको के रूप में श्रेणीगत निर्धारितियों के निर्धारण को पूर्ण करते समय जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है, अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती दावे की अनुमति में अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाया था। लेखापरीक्षा ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको, भूमि विकास बैंकों और कृषि और ग्रामीण विकास बैंको के रूप में बैंकिंग गतिविधियों में लगे निर्धारितियों के मध्य अनुमति या अननुमति की सीमा का विश्लेषण किया। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि 106 मामलों[97] में

93 कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र।

94 गुजरात

95 केरल

96 कर्नाटक और गोवा और केरल

97 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, एनडब्ल्यूआर, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम।

अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती के दावे की अनुमति दी गई थी, 50मामलों[98] में अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती के संपूर्ण दावे को अननुमत कर दिया था। और 180 मामलों[99] में अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा शून्य दावा किया गया था। अननुमति के कारण यह थे कि निर्धारिती बैंकिंग गतिविधियों में शामिल था और अधिनियम की धारा 80पी(4) के अंतर्गत कटौती के दावे के लिए अयोग्य पाया गया था।अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत सहकारी क्षेत्र में कृषि, ग्रामीण और विकास बैंको में शामिल समान वर्ग के निर्धारितियों को कटौती की अनुमति की सीमा नीचे तालिका 3.4 में दर्शाई गई है।

तालिका 3.4: बैंकिंग गतिविधियों में शामिल निर्धारितियों को अधिनिमय की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती की अनुमति।

बैंको की नामावली	निर्धारण मामले जहां अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती का दावा किया गया और अनुमति दी गई					निर्धारण मामले जहां अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती के संपूर्ण दावे को अननुमत किया गया			
	सहकारी समितियां (सं.)	सहकारी बैंक (सं.)	जोड़ (सं.)	80पी कटौती दावे की राशि (₹ करोड़ में)	आयकर विभाग द्वारा अनुमत 80पी कटौती की राशि (₹ करोड़ में)	सहकारी समितियां (सं.)	सहकारी बैंक (सं.)	जोड़ (सं.)	दावा की गई 80पी कटौती की राशि (₹ करोड़ में)
ग्रामीण बैंक/रूरल बैंक/ग्रामीण विकास बैंक	21	7	28	354.6	353.7	20	8	28	1916.7
भूमि विकास बैंक/ लैंड डेवलपमेंट बैंक	20	20	40	33.0	35.9	4	8	12	5.4
प्राथमिक कृषि और ग्रामीण विकास बैंक/सहकारी कृषि बैंक/राज्य कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	33	5	38	914.7	361.9	8	2	10	113.1
जोड़	**74**	**32**	**106**	**1302.3**	**751.5**	**32**	**18**	**50**	**2035.3**

98 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार और झारखंड, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम।

99 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार और झारखंड, गुजरात, कर्नाटक, केरल, एनईआर, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और सिक्किम।

इस प्रकार, निर्धारण अधिकारियों ने सहकारी क्षेत्र में निर्धारितियों के समान वर्ग से संबंधित मामलों में अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती की अनुमति का निर्धारण करते समय समान रूप से अधिनियम के प्रावधानों को लागू नही किया। समान शर्तो के तहत एक ही कानून की प्रयोज्यता में व्यापक भिन्नता के कारणों की सहकारी क्षेत्र में समान गतिविधियों में लगे निर्धारितियों के समान वर्ग के निर्धारण में स्थिरता और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए जांच किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा नियामक निकायों के अनुसार सहकारी बैंकिग की संरचना के तहत वर्गीकरण के अनुसार इस तरह के निर्धारितियों के निर्धारण को संरेखित करने के लिए नियामक निकायों के साथ समन्वय करना आवश्यक है।

3.10 अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती के उच्च मूल्य दावों के साथ सहकारी समितियों का निर्धारण

आयकर अधिनियम में सहकारी समितियों के लिए विशेष प्रावधान के अनुपालन की प्रकृति और सीमा की जांच करने के लिए अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती के उच्चतम दावे वाले 257 मामलों की लेखापरीक्षा जांच की गई।

क) 257 शीर्ष मामलों में, जहां ₹ 7,000.73 करोड़ की कटौती का दावा अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत किया गया था, 82 *प्रतिशत* मामलों में अधिनियम की धारा 80पी(2)(क) (i) के तहत कटौती का दावा बैंकिग के व्यवसाय या उसके सदस्यों (51.36 *प्रतिशत*) को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने में लगी सहकारी समितियों पर लागू था या अधिनियम की धारा 80पी(2) (डी) के अंतर्गत अर्थात किसी अन्य सहकारी समिति (30.74 *प्रतिशत*) के साथ उसके निवेश से सहकारी समिति द्वारा प्राप्त ब्याज या लाभांश के माध्यम से प्राप्त आय।

ख) 257 मामलों में से 115 मामलों को अधिनियम के अध्याय VI क/धारा 80पी के अंतर्गत बड़ी कटौती के दावे के लिए कंप्यूटर सहायता प्राप्त संवीक्षा चयन[100] (सीएएसएस) के तहत चयनित किया गया था। अध्याय VI क/अधनियम की धारा 80पी के अंतर्गत बड़ी कटौती के दावों के लिए चयनित 115 मामलों में से 100 मामलों का चयन

100 आयकर विभाग ने केंद्रीकृत आधार पर पूर्वनिर्धारित मानदंडों का उपयोग करते हुए अनिवार्य चयन के आधार पर जाचं के लिए आयकर रिटर्न का चयन करने के लिए कंप्यूटर सहायता प्राप्त संवीक्षा चयन (सीएएसएस) प्रणाली को लागू किया है।

संपूर्ण संवीक्षा के लिए किया गया और 15 का चयन सीमित संवीक्षा के लिए किया गया था।

ग) संपूर्ण या सीमित संवीक्षा के तहत निर्धारण अधिकारी द्वारा जांच किए गए 115 मामलों में से 32 मामलों में कटौती के संपूर्ण दावे की अनुमति दी गई जबकि 57 मामलों में आंशिक दावे की अनुमति दी गई। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि17 मामलों में अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती की संपूर्ण राशि की अननुमति इन कारणों से दी गई थी जैसे, निर्धारिती बैंकिग व्यवसाय में शामिल था या अयोग्य आय अर्थात अन्य स्रोतों से आय पर कटौती का दावा किया गया था। कटौती का दावा करने वाले शीर्ष मामलों में अननुमति का इतना उच्च अनुपात, कटौती के प्रावधान के दुरूपयोग की प्रवृत्ति को दर्शाता है, विशेष रूप से उन सहकारी समितियों द्वारा जो बैकिंग व्यवसाय में लगे हुए हैं या अधिनियम की धारा 80(2)(डी) के तहत अपने सदस्यों को ऋण सुविधा प्रदान करते हैं।

3.10.1 लेखापरीक्षा ने 38 मामलों[101] में ₹ 52.83 करोड़ के कर प्रभाव सहित अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती की अनियमित अनुमति को पाया। ये त्रुटियां, अधिनियम की धारा 80पी की विभिन्न उप-धाराओं की अननुपालना के मामलों में भी शामिल हैं जैसा कि इस अध्याय के पैरा 3.2 से 3.7 में चर्चा की गई है। दो निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं:

बॉक्स 3.7

उच्च मूल्य दावों में अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती की अनियमित अनुमति के लिए निदर्शी मामला।

क) प्रभार: प्र. सीआईटी-1, बैंगलुरू

निर्धारण वर्ष: 2012-13, 2013-14 और 2014-15

निर्धारिती, एक एओपी (1) रसायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और बीजों के वितरण (2) कृषि वस्तुओं की खरीद और विपणन, (3) सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के तहत कृषि खरीद के लिए नोडल एजेंसी, और (4) कुछ उपभोक्ता पदार्थों का वितरण, करने के लिए राज्य की एक सर्वोच्च सहकारी संस्था है। नि.व. 2012-13, 2013-14, 2014-15 के लिए संघीय सहकारी समिति का संवीक्षा निर्धारण, क्रमश: मार्च 2015, मार्च 2016 और

101 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

दिसंबर 2016 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंक से अर्जित ब्याज पर की गई कटौती को "अन्य स्रोतो से आय" के रूप में मानते हुए समाप्त किया गया था। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि राष्ट्रीयकृत बैंक के अलावा निर्धारिती ने अपनी अधिशेष निधि को शीर्ष बैंक में भी जमा कर दिया है जो कर्नाटक के अन्य सभी सहकारी बैंको को नियंत्रित करने वाला "केंद्रीय बैंक" है और यह बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 द्वारा शासित है। अधिनिमय की धारा 80पी(4) के सम्मिलित होने के परिणामस्वरूप शीर्ष बैंक में जमा किए गए अधिशेष राशि पर अर्जित ब्याज कर योग्य है। हालांकि, निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए क्रमश: ₹ 0.55 करोड़, ₹ 4.33 करोड़ और ₹ 3.92 करोड़ की कटौती की अनुमति दी है। परिणामस्वरूप, नि.व. 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए क्रमश: ₹ 0.23 करोड़, ₹ 1.82 करोड़ और ₹ 1.77 करोड़ के राजस्व की हानि हुई है। आयकर विभाग ने अपने उत्तर (मई 2020) में कहा कि नि.व. 2012-13 के संबंध में कोई कार्यवाही संभव नहीं है क्योंकि माममों समय बाधित है, जबकि अन्य नि.व. के संबंध में उचित उपचारात्मक कार्यवाही की जाएगी और नियत समय में लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

ख) प्रभार: प्र. सीआईटी, मैंगलोर

निर्धारण वर्ष: 2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2016-17

निर्धारिती, एक एओपी के रूप में पंजीकृत एक सहकारी समिती है जो कृषि उत्पादों के विपणन की गतिविधियों में संलग्न है अर्थात अपने सदस्यों द्वारा उगाए गए सुपारी, कच्चे रबर, कोको बीन्स से चॉकलेट का उत्पादन करती है। नि.व. 2012-13, 2013-14, 2014-15, और 2016-17 के लिए सहकारी समिती का संवीक्षा निर्धारण क्रमश: सितंबर 2014, जनवरी 2016, दिसंबर 2016 और नवंबर 2018 के दौरान संपन्न हुआ। निर्धारिती ने सहकारी बैंको में ₹ 0.19 करोड़, ₹ 0.20 करोड़, ₹ 0.21 करोड़ और ₹ 0.22 करोड़ की सीमा तक निवेश से ब्याज आय अर्जित की और उसका दावा अधिनियम की धारा 80पी(2)(डी) के अंतर्गत कटौती के रूप में किया। निर्धारण अधिकारी ने भी माना कि नि.व. 2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2016-17 के लिए क्रमश: ₹ 0.07 करोड़, ₹ 0.08 करोड़, ₹ 0.10 करोड़ और ₹ 0.10 करोड़ की कटौती से राजस्व की हानि हुई। आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को न करते हुए जवाब (मई 2020) दिया और कहा कि प्रधान आयकर आयुक्त, हुबली बनाम टोटगर की सहकारी बिक्री समिति, 2017 (392 आईटीआर 74) के मामलें में कर्नाटक उच्च न्यायालय के

फैसले को स्वीकार कर लिया जिसने फैसला सुनाया कि "अधिनियम की धारा 80पी(2)(डी) के प्रयोजन के लिये एक सहकारी बैंक को एक सहकारी समिति माना जाना चाहिए" और इस प्रकार सहकारी बैंकों से अर्जित ब्याज के लिए अधिनियम की धारा 80पी(2)(डी) के अंतर्गत निर्धारिती, कटौती के दावे के लिए योग्य है।

आयकर विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि निर्धारण अधिकारी ने केवल नि.व. 2012-13 के लिए "टोटगर सहकारी बिक्री समिति लि." के मामले में क्षेत्राधिकारिक उच्च न्यायालय के आदेश (दिनांक 05.01.2017) का उल्लेख किया है। कर्नाटक के क्षेत्राधिकारिक उच्च न्यायालय, धारवाड़ बैंच ने नि.व. 2007-08 से 2011-12 के लिए एक ही निर्धारिती [टोटागार सहकारी बिक्री समिति] के मामले का फैसला करते हुए 5 जनवरी 2017 के अपने स्वयं के आदेश पर विचार करते हुए 16 जनवरी 2017 को फैसला सुनाया (माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पैरा 18 और 19 के अनुसार)। इसके द्वारा यह निर्णय दिया गया कि निर्धारिती सहकारी बैंको से अर्जित ब्याज के लिए अधिनियम की धारा 80पी(2)(डी) के अंतर्गत कटौती का दावा करने के पात्र नहीं है। जून 2017 में किए गए अनुवर्ती न्यायिक फैसले के मद्देनजर दी गई अनुमति की पुन: जांच करने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने यह पाया कि आय की प्रकृति की निगरानी के लिए कोई तंत्र नहीं है जिस पर सहकारी समितियों द्वारा कटौती का दावा किया जा रहा है। आईटीआर, अधिनियम की धारा 80पी की उप-धारा, जिसके तहत निर्धारिती अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती का दावा करता है, को दर्ज़ नहीं करता है। इस प्रकार, यह स्पष्ट नहीं है कि आयकर विभाग निर्धारिती की पात्रता की पुष्टि किए बिना अनुमति कैसे दे रहा है या विशिष्ट गतिविधियों के लिए अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्धारित शर्तों की पूर्ति कैसे कर रहा है। जब आयकर अधिनियम ने गतिविधियों की प्रकृति को निर्दिष्ट किया है कि किन सहकारी समितियों के संबंध में अधिनिमय की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती का दावा किया जा सकता है, उनके पास अधिनियम के अंतर्गत सहकारी समितियों के लिए कटौती के लाभ की शुरूआत के पीछे विधायी मंशा की पूर्ति का निर्धारण करने के संबंध में इसकी निगरानी के लिए कोई तंत्र नहीं है। आयकर विभाग को एक सहकारी समिति द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की प्रकृति की प्रभावी रूप से निगरानी करने के लिए एक तंत्र को तैयार करना चाहिए, साथ ही उन आय को भी सत्यापित करना होगा

जिनपर सहकारी समितियों द्वारा कटौती का दावा किया जा रहा है ताकि केवल योग्य निर्धारितियों को दावे की अनुमति सुनिश्चित की जा सके।

3.11 अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान की कटौती की गलत अनुमति

अधिनियम की धारा 36(i)(viiए) यह निर्धारित करती है कि अनुसूचित बैंक, प्राथमिक कृषि ऋण समिति के अलावा एक सहकारी बैंक या एक प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को अनुमत किए गए अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान कुल आय के साढ़े सात प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए (अधिनियम के इस खंड और अध्याय vi (क) के अंतर्गत कोई कटौती करने से पहले गणना की गई) और राशि निश्चित तरीकों में ऐसे बैंको की ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिए गए कुल औसत अग्रिमों के दस प्रतिशत से अधिक नहीं है। इसके अलावा, अधिनियम के 36(2)(v) *के अनुसार इस तरह की किसी भी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि निर्धारिती ने पिछले वर्ष में इस खंड के तहत बनाए गए इस तरह के अशोध्य और संदिग्ध ऋण लेखों के प्रावधानों के लिए ऐसे ऋण या ऋण के भाग को डेबिट नहीं किया है।*

लेखापरीक्षा ने अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के आधार पर कटौती का दावा करने वाले सहकारी बैंकों की योग्यता को सुनिश्चित करने के लिए ₹ 4,085.16 करोड़ की कटौती के दावों में शामिल 487 मामलों[102] की जांच की।

क) लेखापरीक्षा में यह पता चला कि 487 मामलों में 324 मामलों (66.5 *प्रतिशत*) में कटौती के संपूर्ण दावे की अनुमति की गई।

उन 324 मामलों का विवरण जिनमें निर्धारण के दौरान संपूर्ण दावों की अनुमति दी गई थी,नीचे तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

102 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक और गोवा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल

तालिका 3.5: अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के आधार पर अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती का दावा

(₹ करोड़ में)

अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत किए गए दावे		**केवल कुल सकल आय पर कटौती का दावा (आयकर विभाग द्वारा पूर्णत: अनुमत)**		**केवल कुल अग्रिमों पर कटौती का दावा (आयकर विभाग द्वारा पूर्णत: अनुमत)**		**कुल सकल आय और कुल अग्रिम जहां द्विभाजन उपलब्ध नहीं है, पर कटौती का दावा (आयकर विभाग द्वारा पूर्णत: अनुमत)**		**कुल सकल आय और कुल अग्रिमों पर कटौती का दावा (आयकर विभाग द्वारा पूर्णत: अनुमत)**	
सं.	दावा की गई कटौती की राशि	सं.	दावा की गई कटौती की राशि	सं.	दावा की गई कटौती की राशि	सं.	दावा की गई कटौती की राशि	सं.	दावा की गई कटौती की राशि
487	4,085.16	142	815.64	94	772.13	54	430.67	34	740.21

मौजूदा प्रारूप में आईओआर, कुल आय पर और ग्रामीण अग्रिमों पर अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत दावा की गई कटौती के अलग-अलग आंकड़ों/ विवरणों को दर्ज़ नहीं करता है। लेखापरीक्षा मौजूदा अभिलेखों से उसको सुनिश्चित नहीं कर सका, जिसे ऊपर दर्शाया गया था। यह स्पष्ट नहीं था कि निर्धारण के दौरान निर्धारण करने वाले अधिकारी अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के आधार पर कटौती के दावे की जांच कैसे कर रहे थे। इसलिए, यह सुझाव दिया गया कि कुल आय और ग्रामीण अग्रिमों पर दावा राशि को प्रभावी निगरानी और सहकारी बैंकों के लिए अनुमत कटौती के प्रभाव के निर्धारण के लिए अलग से दर्ज़ किया जा सकता है।

3.11.1 लेखापरीक्षा ने 18[103] राज्यों में 118 मामलों[104] को देखा जहां निर्धारण अधिकारियों ने आयकर अधिनियम में निर्धारित शर्तों की पूर्णता सुनिश्चित किए बिना अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के आधार पर अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अनियमित रूप से कटौती

103 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक और गोवा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

104 लेखापरीक्षा आपत्तियों में सामान्य जांच और (पैरा 3.11 में चर्चा की गई) और वे जो विशिष्ट जांच के अंतर्गत (जैसा कि इस अध्याय के पैरा 3.11.3 में चर्चा की गई है।) मामलों के संबंध में लेखापरीक्षा में देखी गई अनियमितताएं शामिल हैं।

की अनुमति दी थी। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 1,002.78 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ और ₹ 375.20 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 118 मामलों में से 71 मामलों (अर्थात 60.1 *प्रतिशत*) की पूरी संवीक्षा के तहत जांच की गई थी जबकि सीमित संवीक्षा के तहत 18 मामलों की जांच की गई थी। 71 मामलों में शामिल ₹ 909.79 करोड़ की कटौती के दावे और अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत ₹ 712.58 करोड़ की कटौती की अनुमति दी गई, यद्यपि संवीक्षा जांच का प्रकार पूर्ण संवीक्षा थी, लेखापरीक्षा ने अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती की गलत अनुमति सहित त्रुटियों को पाया। गलत निर्धारणों के ये मामले निर्धारण के दौरान दावों की स्वीकार्यता की आपर्याप्त जांच की तरफ इशारा करते हैं।

तीन निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं:

बॉक्स 3.8

अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत प्रावधान के लिए कटौती की अनियमित अनुमति का निदर्शी मामला

(क) प्रभार: प्र. सीआईटी-शिलांग

निर्धारण वर्ष: 2014-15

निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए अधिनिमय की धारा 143(3) के अंतर्गत दिसंबर 2016 में ₹ 4.83 करोड़ की आय को निर्धारित करते हुए निर्धारिती के संवीक्षा निर्धारण को पूर्ण किया गया। निर्धारिती ने एक अपील को प्राथमिकता दी और अपील के आदेश के आधार पर नवंबर 2017 में ₹ 3.79 करोड़ की आय का निर्धारण किया गया। लेखापरीक्षा जांच में यह पता चला कि निर्धारिती ने लेखाओं में अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत ₹ 6.00 करोड़ का प्रावधान किया लेकिन ₹ 87.29 करोड़ की कटौती का दावा किया, जो अधिनियम की धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण में ₹ 84.78 करोड़ तक सीमित था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 78.78 करोड़ के प्रावधान की कटौती की अधिक अनुमति दी गई और ₹ 26.78 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। आयकर विभाग का जवाब प्रतीक्षित है (जून 2020)।

ख) प्रभार: प्र. सीआईटी-1 पटना,
नि.व.: 2013-14

फरवरी 2016 में ₹ 16.35 करोड़ की आय पर निर्धारिती के संवीक्षा निर्धारण को पूर्ण किया गया। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि प्रावधान और आकस्मिकता के लिए लाभ और हानि खाते में ₹ 33.91 करोड़ की राशि डेबिट की गई और शुद्ध लाभ ₹ 65.31 करोड़ दिखाया गया। आय की गणना के दौरान, आवश्यकतानुसार समायोजन के बाद, अध्याय VI के तहत कटौती से पूर्व ₹ 104.34 करोड़ की कुल आय की गणना की गई और ग्रामीण अग्रिमों के लिए कटौती के रूप में ₹ 205.69 करोड़ सहित अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत ₹ 213.51 करोड़ की कटौती का दावा करने के बाद ₹ 109.18 करोड़ की हानि पर रिटर्न आय को दर्ज किया गया। संवीक्षा निर्धारण के दौरान निर्धारिती की रिटर्न आय को शून्य पर लिया गया था और दो शीर्षों के तहत संवर्धन के पश्चात ₹ 16.35 करोड़ पर आय का निर्धारण हुआ था। चूंकि निर्धारिती ने ₹ 33.91 करोड़ के कुल प्रावधान को डेबिट किया था इसलिए दावा की गई ₹ 213.51 करोड़ की कटौती को लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई राशि यानि ₹ 33.90 करोड़ तक सीमित करना अपेक्षित था। हालांकि, ₹ 104.34 करोड़ की कटौती की अनुमति दी गई थी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 21.76 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 70.43 करोड़ की कटौती की अधिक अनुमति दी गई। आयकर विभाग का जवाब प्रतिक्षित है (जून 2020)।

ग) प्रभार: सीआईटी जमशेदपुर,
निर्धारण वर्ष: 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15

अधिनियम की धारा 143(3)/147/263 के अंतर्गत नि.व. 2011-12 से 2014-15 के लिए दिसंबर 2016, दिसंबर 2018, मार्च 2016 और दिसंबर 2016 में निर्धारिती के निर्धारण को पूर्ण किया गया और क्रमश: ₹ 3.04 करोड़, ₹ 5.50 करोड़, ₹ 3.61 करोड़ और ₹ 2.65 करोड़ पर निर्धारण किया गया। लेखापरीक्षा जांच में यह पता चला कि निर्धारिती ने स्वीकार्य से अधिक में ₹ 16.23 करोड़ के प्रावधान किए, जो अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अनुमति योग्य थे। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज

सहित ₹ 8.02 करोड़[105] के कम कर के उदग्रहण सहित ₹ 16.23 करोड़[106] के प्रावधानों की अनियमित अनुमति दी गई। आयकर विभाग ने अपने जवाब (जुलाई 2019) में कहा कि लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच की जाएगी और कानून के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा, आयकर विभाग द्वारा की गई सुधारात्मक कार्यवाही का विवरण प्रतीक्षित है (जून 2020)।

3.11.2 आयकर रिटर्न के माध्यम से अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के आधार पर किए गए दावों की निगरानी

आईटीआर-5 का मौजूदा प्रारूप अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा किए गए दावों को प्राप्त नहीं करता है। इसके अलावा, डीजीआईटी (सिस्टम) द्वारा प्रस्तुत डेटा, लेखा बही के अनुसार अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान की राशि दिखाता है, न कि अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती के दावे की वास्तविक राशि को। भाग क-आईटीआर-5 फार्म की अन्य जानकारी, अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती का विवरण प्राप्त करती हैं (अर्थात लाभ और हानि लेखे में डेबिट की गई राशि, जिस सीमा तक अननुमति योग्य है)। लेखापरीक्षा में यह पता चला कि ऐसे मामले जहां निर्धारिती ने आय की गणना में "अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान" की राशि को वापस जोड़ा, राशि दावा की गई और अशोध्य और संदिग्ध ऋण के प्रावधान पर अनुमत की गई राशि शून्य थी। हालांकि, कटौती का प्रभावी दावा आईटीआर में परिलक्षित नहीं हो रहा था। आयकर विभाग, आईटीआर फार्म में निर्धारिती द्वारा अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत दावा की गई कटौती को अधिकृत करने का प्रावधान कर सकता है।

3.11.3 अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती के उच्च मूल्य दावे

लेखापरीक्षा ने अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के अंतर्गत अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत ₹ 1,707.78 करोड़ के उच्च मूल्य के दावों

105 ₹ 8.02 करोड़ = ₹ 4.01 करोड़ (नि.व. 2011-12) + ₹ 1.03 करोड़ (नि.व. 2012-13) + ₹ 0.64 करोड़ (नि.व. 2013-14) + ₹ 2.34 करोड़ (नि.व. 2014-15).

106 ₹ 16.23 करोड़ = ₹ 7.69 करोड़ (नि.व. 2011-12) + ₹ 1.85 करोड़ (नि.व. 2012-13) + ₹ 1.51 करोड़ (नि.व. 2013-14) + ₹ 5.18 करोड़ (नि.व. 2014-15).

या कटौती की राशि के 117 मामलों[107] की जांच की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के आधार पर अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत दावा की गई कटौती की जांच की गई थी और सही ढंग से अनुमति दी गई थी। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि निर्धारण अधिकारियों ने 88 मामलों में ₹ 1,144.06 करोड़ की कटौती के संपूर्ण दावे की अनुमति दी थी जबकि 29 मामलों में ₹ 563.72 करोड़ के कुल दावे के प्रति ₹ 125.30 करोड़ की कटौती के आंशिक दावे की अनुमति दी गई थी।

लेखापरीक्षा ने ₹ 39.36 करोड़ के कर प्रभाव सहित अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती की अनियमित अनुमति के 12 मामलों[108] को देखा। ये त्रुटियां, इस अध्याय के पैरा 3.10.1 में चर्चा की गई अननुपालना के मामलों में शामिल हैं। गलत अनुमति उसके किए गए प्रावधानों के दावे की गैर-प्रतिबंधता संशोधित कुल आय की गैर-प्रतिफल के कारण दावे की गणना में त्रुटि आदि के आधार पर दी गई थी। एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

बॉक्स 3.9

अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती के उच्च मूल्य दावों का निदर्शी मामला

प्रभार: प्र. सीआईटी-2, नागपुर

निर्धारण वर्ष: 2013-14

निर्धारिती अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत "अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान" के आधार पर ₹ 15.71 करोड़ की कटौती की अनुमति ने दावा किया और उसे अनुमति दी थी। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि निर्धारिती ने केवल ₹ 7.04 करोड़ की राशि के अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किया था। इसलिए, अनुमति एक सीमा तक प्रतिबंधित होनी चाहिए। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.68 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 8.67 करोड़ की कटौती की गलत अनुमति दी गई। आयकर विभाग का जवाब प्रतीक्षित है (जून 2020)।

अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती के उच्च मूल्य के दावों की अननुपालना का जोखिम था। जैसा कि पहले ही इस अध्याय के पैरा 3.11

107 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, एनईआर, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल।

108 मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गोवा, केरल, महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र और तमिलनाडु

में सुझाव दिया गया है,आयकर विभाग कुल आय पर और ग्रामीण अग्रिमों पर आईटीआर में दावों की सीमा की निगरानी और उसकी अनुपालना के लिए अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती के दावों के अलग-अलग आंकडों को प्राप्त करने पर विचार कर सकता है।

3.12 अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष रिजर्व के लिए कटौती की गलत अनुमति

अधिनियम की धारा 36(1)(viii) में यह कहा गया है कि व्यवसाय से गणना की गई आय में, वर्ष के दौरान योग्य व्यवसाय से आय के 20 प्रतिशत की अनुमति एक विशेष संस्था द्वारा बनाए रखे जाने और किसी विशेष रिजर्व के निर्माण के संबंध में दी जाएगी। धारा के नीचे दिया गया स्पष्टीकरण आगे शर्त को स्पष्ट करता है- 'विशिष्ट संस्था'और 'योग्य व्यवसाय'जो 'भारत में आवास के विकास'से मीन क्लस्टर हाउसिंग बुनियादी ढ़ांचे के विकास तक बिल्डरों और डेवलपर्स को दीर्घकालिक वित्त प्रदान करके घेरे हुए है। "आवासीय उद्देश्यों के लिए भारत में घरों के निर्माण या खरीद" के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने के लिए कटौती विशेष रूप से "आवासीय वित्त कंपनी" के लिए उपलब्ध है। अधिनियम की धारा 36(1)(viii)और उसके नीचे स्पष्टीकरण के प्रावधान के विषय में सामंजस्यपूर्ण पठन इस प्रकार यह प्रचूरता में स्पष्ट करता है कि व्यक्तिगत आवास ऋण, "आवासीय वित्त कंपनी" के अलावा बैंको/सहकारी बैंको और वित्त संस्थानों के मामले में अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र नहीं यह दक्षिण भारतीय बैंक लि. बनाम एसीआईटी, आईटीएटी कोचीन बैंच के मामले में न्यायिक रूप से निर्णय लिया गया (मार्च 2019) कि अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष रिजर्व कटौती बैंक को व्यक्तिगत आवासीय ऋण से होने वाली आय के संबंध में निर्धारिती बैंक को अनुमति योग्य नहीं होगी जिसमें कहा गया कि यह अलग-अलग घरों की खरीद/निर्माण, आवासीय विकास नहीं है।

लेखापरीक्षा ने अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती का दावा करने वाले सहकरी बैंकों की योग्यता को सुनिश्चित करने के लिए 114 मामलों की जांच की।

क) लेखापरीक्षा ने यह पाया कि 10 राज्यों/ क्षेत्रों[109] में 114 मामलों में जहां निर्धारिती ने अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत ₹ 354.84 करोड़ की राशि की कटौती का दावा किया था जिसमें से निर्धारण अधिकारी ने ₹ 117.81 करोड़ की अननुमति दी जबकि ₹ 237.03 करोड़ के दावे की अनुमति प्रदान की थी।

109 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र (एनडब्ल्यूआर), ओडिशा, तमिलनाडु, राजस्थान, पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) और पश्चिम बंगाल।

ख) 114 मामलों में से 82 मामलों में, अधिनिमय की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत ₹ 212 करोड़ की कटौती के संपूर्ण दावे की अनुमति दी गई। 82 मामलों में से 12 मामलें में, जहा अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत ₹ 5.21 करोड़ की कटौती की अनुमति दी गई, अवधि मौजूदा अभिलेखों से सुनिश्चित करने योग्य नहीं था, जिसके लिए ऋण या अग्रिम प्रदान किए गए थे। इस प्रकार, निर्धारिती के दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने में संलग्न होने की मूल शर्त की पूर्ति को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

ग) 114 मामलों में से 16 मामलों में निर्धारण अधिकारी ने ₹ 85.98 करोड़ की कटौती के संपूर्ण दावे को निर्धारिती द्वारा किसी विशेष रिजर्व के गैर-निर्माण या निर्धारिती का व्यवसाय केवल दीर्घकालिक वित्त से संबंधित नही था, जैसे कारणों के लिए अननुमत किया गया था।

घ) 114 मामलों में से बचे हुए 16 मामलों में ₹ 56.87 करोड़ के कुल दावे के मुकाबले ₹ 25.03 करोड़ के दावे को आंशिक अनुमति दी गई थी।

3.12.1 अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत दावे के संबंध में जांच किए गए मामलों मे से लेखापरीक्षा ने बिहार और महाराष्ट्र में 08 मामलों में अनियमितताओं को पाया जहां आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम में निर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन करते हुए गलत तरीके से विशेष रिजर्व के लिए प्रावधानों के लिए कटौती की अनुमति दी थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 33.20 करोड़ की कम आय का निर्धारण हुआ और ₹ 14.01 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि 8 मामलों में से 3 मामलों की पूर्ण संवीक्षा के तहत ₹ 10.43 करोड़ के कर प्रभाव सहित जांच की गई थी।

दो निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं:

बॉक्स 3.10

अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती की गलत अनुमति का निदर्शी मामला

क) प्रभार: प्र सीआईटी-1 पटना

नि.व.: 2014-15

निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण ₹ 83.03 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2016 में पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने ब्याज से आय, निवेश आय व अन्य आय सहित कुल आय पर अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत ₹ 20.75 करोड़ की कटौती का दावा किया था तथा उसे अनुमति दी गई थी। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि इस संबंध में लेखा बही में कोई विशेष आरक्षित खाता नहीं बनाया गया था। चूँकि अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती के लिए कोई विशेष रिजर्व नहीं बनाया था और आय के स्थान पर सभी आय से कटौती का दावा किया गया था, उसे अस्वीकृत किए जाने की आवश्यकता थी तथा कुल आय में वापस जोड़ना था। चूक के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती की गलत अनुमति दी गई, जिससे ₹ 9.78 करोड़ (ब्याज सहित) के कर प्रभाव सहित राशि ₹ 20.75 करोड़ की चूक थी। आयकर विभाग का जवाब प्रतीक्षित है (जून 2020)।

ख) प्रभार: प्र सीआईटी-1 मुम्बई

नि.व.: 2016-17

महाराष्ट्र में, सहकारी बैंक के रूप में कार्य करने वाले एक निर्धारिती को निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए संवीक्षा निर्धारण में अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत दावा की गई ₹ 17 करोड़ की कटौती की अनुमति दी गई थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि दीर्घकालिक वित्त ऋण के विवरण के अनुसार ₹ 309.69 करोड़ की राशि वास्तु सिद्धि, संपत्ति ऋण योजना, वाणिज्यिक अचल संपत्ति इत्यादि से संबंधित थी। चूँकि ये ऋण अर्हक कटौती के लिए 'पात्र व्यवसाय' के अंतर्गत नहीं आते, दीर्घकालिक वित्त पर उपरोक्त राशि की कटौती की अनुमति गलत थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.18 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहण सहित ₹ 9.36 करोड़ की कटौती की अधिक अनुमति दी गई थी। आयकर विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)।

3.13 गन्ने के खरीद के लिए अधिनियम की धारा 36(1)(xvii) के अंतर्गत सहकारी समितियों को व्यय की अनियमित अनुमति।

केन्द्रीय सरकार कृषि लागत तथा मूल्यों (सीएसीपी) तथा राज्य सरकारों तथा अन्य पणधारको से परामर्श के बाद गन्ने के फेयर एंड रेमुनेटिव प्राईस (एफ़ आर पी) को तय करती है। एफ़ आर पी गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के अंतर्गत न्यूनतम मूल्य को तय करता है जिस पर चीनी मिल को गन्ना किसान को भुगतान करना पड़ता है। इसके अलावा केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारे भी समय समय पर चीनी विनिर्माण सत्वों/ चीनी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन तथा योजनाओं को अधिसूचित करती है।

केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा चीनी उत्पादको द्वारा खरीदे गए गन्ने के लिए गन्ने के मूल्य को निर्धारित करती है। नए कीमत तंत्र के अनुसार, 22 अक्टूबर 2009 से फेयर एंड रेमूनरेटिव प्राइस (एफआरपी) अस्तित्व में आया। उपरोक्त के अनुरूप, वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा एक नया खंड [धारा 36(1)(xvii)] जोड़ा गया है जो 1 अप्रैल 2016 से प्रभावी है। अधिनियम की धारा 36(1)(xvii) प्रावधान करती है कि सरकार द्वारा अनुमोदित या नियत मूल्य के बराबर या उससे कम मूल्य पर गन्ने की खरीद से लिए चीनी उत्पादकों के व्यवसाय में संलग्न सहकारी समिति द्वार किए गए व्यय की राशि के लिए प्रदान की गई कटौती को अधिनियम की धारा 28 में उल्लेखित आय की गणना में अनुमति दी जाएगी।

लेखापरीक्षा ने अधिनियम की धारा 36(1)(xvii) के अंतर्गत कटौती का दावा करने वाली सहकारी समितियों की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए गुजरात और महाराष्ट्र में अधिनियम की धारा 36(1)(xvii) के अंतर्गत ₹ 24,664.78 करोड़ की कटौती के दावे वाले 111 मामलों की जाँच की। लेखापरीक्षा ने पाया कि अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निर्दिष्ट शर्तों के पूरा न होने के कारण निर्धारण अधिकारियों द्वारा 111 मामलों में ₹ 6,668.43 करोड़ (27 *प्रतिशत*) की अननुमति दी गई थी जबकि ₹ 17,996.35 करोड़ की कटौती स्वीकार की गई। निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की 36(1)(xvii) के अंतर्गत 111 मामलों में से चार मामलों में ₹ 887.05 करोड़ की राशि की कटौती के पूरे दावे को स्वीकृति दी गई थी जबकि 107 मामलों में अधिनियम की धारा 36(1)(xvii) के अंतर्गत ₹ 23,777.73 करोड़ की कटौती के दावे के प्रति ₹ 17,109.30 करोड़ की कटौती की आशिंक अनुमति प्रदान की गई थी। निर्धारण अधिकारियों ने निर्धारिती द्वारा व्यय के रूप में दावा की गई अधिक चीनी खरीद कीमत को अननुमति दी जो सरकार द्वारा नियत की गई न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दर से अधिक था।

तालिका 3.6: गन्ने के खरीद पर व्यय के आधार पर अधिनियम की धारा 36(1)(xvii) के अंतर्गत दावा की गई कटौती

(₹ करोड़ में)

धारा 36(1)(xvii) के अंतर्गत किए गए दावे		धारा 36(1)(xvii) के अंतर्गत आयकर विभाग द्वारा स्वीकृत सम्पूर्ण दावा		धारा 36(1)(xvii) के अंतर्गत आयकर विभाग द्वारा आंशिक तौर पर स्वीकृत दावा		
मामलों की संख्या	दावा की गई कटौती की राशि	मामलों की संख्या	दावा की गई कटौती की राशि	मामलों की संख्या	दावा की गई कटौती की राशि	अनुमत कटौती की राशि
111	24664.78	4	887.05	107	23777.73	17109.30

राज्यवार दावा की गई कटौती तथा अनुमत राशि नीचे दी गई है।

तालिका 3.7: अधिनियम की धारा 36(1)(xvii) के अंतर्गत दावा की गई राज्य-वार कटौती की राशि

(₹ करोड़ में)

राज्य	मामलों की संख्या	धारा 36(1)(xvii) के अंतर्गत दावा की गई कटौती	धारा 36(1)(xvii) के अंतर्गत आयकर विभाग द्वारा स्वीकृत कटौती
गुजरात	38	8291.00	5392.35
महाराष्ट्र	73	16373.78	12604.00
कुल जोड़	**111**	**24664.78**	**17996.35**

चीनी सहकारी समितियों द्वारा किए गए कटौती के दावे की मात्रा काफी अधिक है [चीनी विनिर्माण सत्व धारा 36(1)(xvii) के तहत लगभग ₹ 220 करोड़ कटौती का औसत दावा किया जा रहा है]। चीनी विनिर्माण सहकारी समितियों द्वारा किए जा रहे बढाए गए दावों की संभावना भी अधिक है (111 मामलों में निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए अननुमतिकरण का 27 *प्रतिशत*)।

111 मामलों के संबंध में लौटाई गई आय ₹ 135.75 करोड़ थी, जबकि निर्धारण आय ₹ 6,888.88 करोड़ थी, जो ₹ 6,753.13 करोड़ अधिक है। निर्धारण अधिकारी ने ₹ 2,903.16 करोड़ की मांग की।

111 मामलों में, लेखापरीक्षा ने आयकर विभाग के साथ एओपी के तौर पर पंजीकृत महाराष्ट्र के 19 मामलों में अनियमताएं पाई [19 मामलों के लिए

₹ 30.74 करोड़ का नुकसान और ₹ 1100.36 करोड़ की आय का निर्धारण किया गया], जहाँ आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 36(1)(xvii) के अंतर्गत परिवहन तथा कटाई व्यय के लिए कटौतियों की गलत अनुमति दी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 318.53 करोड़ की आय का कम निर्धारण तथा ₹ 107.75 करोड़ का कम कर उद्ग्रहण हुआ था। एक मामला नीचे चित्रित किया गया है।

बॉक्स 3.11

अधिनियम की धारा 36(1)(xvii) के अंतर्गत सहकारी समितियों के व्यय की अनियमित अनुमति का निदर्शी मामला

सीआईटी प्रभार: प्र.सीआईटी 3 पुणे
नि.व.: 2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2015-16

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि निर्धारण वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 के लिए एक एओपी के निर्धारण को पूरा करते समय, कटाई तथा परिवहन (एचएंडटी) व्यय को अधिक गन्ना कीमत की अननुमति की गणना करते समय समायोजित नहीं किया गया था। आयकर विभाग द्वारा उठाया गया कदम दूसरे निर्धारती के मामले में एक समान नहीं था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 58.60 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 180.21 करोड़[110] के व्यय की अनियमित अनुमति दी गई।

इसके अलावा, उसी निर्धारती के मामले में, निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारण पूरा करते समय निर्धारण अधिकारी ने निर्धारती द्वारा दावा की गई दर पर गन्ना खरीद के लिए कटौती की अनुमति की बजाय एफआरपी दरों के अनुसार कटौती की अधिक राशि की अनुमति दी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.97 करोड़ के कर सहित ₹ 11 करोड़ के गन्ना व्यय की अनियमित अनुमति दी गई। आयकर विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)।

अधिनियम की धारा 36(1)(xvii) के अंतर्गत लेखापरीक्षा द्वारा पाई गई कटौती की अनियमित अनुमति के 19 मामलों में से, छः मामलों में निर्धारती कृषि विनिर्माण में लगे हुए थे तथा एक मामले में निर्धारिती बिजली तथा ऊर्जा के निर्माण में लगे हुए थे जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

110 ₹ 180.21 करोड़ = ₹ 54.52 करोड़ + ₹ 47.82 करोड़ + ₹ 57.24 करोड़ + ₹ 20.63 करोड़

तालिका 3.8: गतिविधि/व्यवसाय कोड के अनुसार अधिनियम की धारा 36(1)(xvii) के अंतर्गत अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)

व्यवसाय कोड़	गतिविधि	रिटर्न आय	निर्धारित आय	मामलों की संख्या	कर प्रभाव
101	विनिर्माण - कृषि आधारित उद्योग	0	500.86	6	30.23
114	विनिर्माण - बिजली तथा ऊर्जा	0	7.6	1	3.99
118	विनिर्माण - चीनी	(30.74)	591.90	12	73.53
कुल जोड़		**(30.74)**	**1100.36**	**19**	**107.75**

अधिनियम की धारा 36(1)(xvii) के अंतर्गत चीनी निर्माण के अलावा अन्य गतिविधियों में लगे हुए निर्धारितियों द्वारा अननुपालन या अयोग्य दावों की संभावना थी। आयकर विभाग अधिनियम की धारा 36(1)(xvii) के अंतर्गत कटौतियों के क्षेत्रीय या गतिविधि-वार प्रभाव की निगरानी के लिए आईटीआर चरण में अधिनियम की धारा 36(1)(xvii) के अंतर्गत दावा की गई कटौती के साथ गतिविधि कोड या व्यवसाय कोड या व्यवसाय की प्रकृति को विभाग जोड़ने तथा चीनी विनिर्माता सत्वों को लाभ पहुँचाने हेतु शुरू की गई इस कटौती के आधार पर कर अनुपालन की सीमा पर विचार कर सकता है।

संवीक्षा के तहत सभी 19 मामलों का निर्धारण किया गया था। इन मामलों में से, 14 मामलों की पूर्ण संवीक्षा के तहत ₹ 63.40 करोड़ की रिटर्न आय तथा ₹ 865.05 करोड़ की निर्धारण आय का निर्धारण किया गया है। यद्यपि कटौती के अनियमित दावे अधिनियम की धारा 36(1)(xvii) के अंतर्गत निर्धारितियों द्वारा प्रावधानों के दुरूपयोग के प्रयासों की सीमा को दर्शाते है, निर्धारण अधिकारी इन मामलों में संवीक्षा के लिए मामलों के चयन के लिए शर्तों की जाँच करने में विफल रहे जिसके कारण गलत निर्धारण हुआ तथा ₹ 96.11 करोड़ की कम वसूली हुई।

3.14 लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश

- पारस्परिकता के सिद्धांतों के अनुपालन के निर्धारण में मूल्यांकन अधिकारियों द्वारा किया गया सत्यापन अपर्याप्त था। निर्धारण अधिकारी अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती के दावों के समान मामलों के निर्धारण में पृथक कदम उठा रहे थे। इससे सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंको के निर्धारणों की गुणवत्ता प्रभावित हुई।

- अधिनियम की धारा 36(1)(viiए), 36(1)(viii), 36(1)(xvii) तथा अधिनियम की धारा 80पी की विभिन्न उपधाराओं के अंतर्गत कटौतियों की अनियमित अनुमति के उदाहरण थे, जहाँ पर उक्त प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट शर्तें पूरी नहीं की गई जिसमें 649 मामलों में ₹ 694.50 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था।
- कटौती के दावे की अननुमति के लिए मुख्य कारण में निर्धारिती थे जो या तो सहकारी समितियों के लिए अधिनियम में निर्दिष्ट गतिविधियों में नहीं लगे हुए थे अथवा मुख्य गतिविधि या व्यवसाय की तुलना में छोटे अनुपात में लगे हुए थे। इससे पारस्परिकता के सिद्धांतों पर आधारित काम न करने वाले का सत्वों का मुख्य जोखिम हुआ, गलत तरीके से लाभों का दावा किया गया तथा सहकारी समितियों पर लागू प्रावधानों का संभावित दुरूपयोग हुआ।
- निर्धारण अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भूमि विकास बैकों तथा कृषि और ग्रामीण विकास बैकों के रूप में वर्गीकृत निर्धारितियों के निर्धारणों को पूरा करते हुए अधिनियम की धारा 80पी के तहत कटौती की अनुमति में अलग-अलग दृष्टिकोण अपना रहे है।
- संवीक्षा निर्धारण करते समय, यह देखा कि निर्धारण अधिकारियों ने संवीक्षा के लिए मामलों में चयन अर्थात अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत बड़े कटौतियों के दावें के लिए आयकर विभाग द्वारा निर्दिष्ट मापदंडों की विधिवत जाँच नहीं की थी, जिसके परिणामस्वरूप कटौती की अनियमित अनुमति मिली।
- जिस आय की प्रकृति पर सहकारी समितियों द्वारा कटौती का दावा किया जा रहा है, उसकी निगरानी के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं है। सहकारी समितियों द्वारा कटौती के दावे पर आय की अधिनियम की धारा 80पी की उपधारा के संबंध में कोई जानकारी इकट्ठा नहीं करता, जिसके आधीन निर्धारती अधिनियम की धारा 80पी के तहत कटौती का दावा करता है।
- अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत की गई कटौती के विशिष्ट तथा वास्तविक दावे को आईटीआर के मौजूदा प्रारूप में दर्ज़ नहीं हो रहा है।
- सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंको के तौर पर कटौती के दावे का लाभ उन सहकारी समितियों तथा सहकारी बैकों द्वारा उठाया गया था

जो एओपी अर्थात एओपी (ट्रस्ट), कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, बीओआई, फर्म आदि के अलावा पंजीकृत थे, जो सही नहीं था।

- विभिन्न उपधाराओं में से, जिसके अंतर्गत एक सहकारी समिति/सहकारी बैंक कटौती का लाभ उठा सकता है, यह देखा गया कि अधिनियम की 80पी (2)(डी), 36(1)(viiए) तथा 80पी(2)(ए)(i) के अंतर्गत अननुपालन का अपेक्षाकृत अधिक जोखिम था जो लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई अनियमिताओं की कुल संख्या का क्रमश: 56.55 *प्रतिशत*, 18.18 *प्रतिशत* तथा 17.72 *प्रतिशत* था।
- बैंकिंग, क्रेडिट तथा वित्तीय सेवाओं में लगे हुए निर्धारितियों के संबंध में कटौती के अनियमित दावों की अपेक्षाकृत अधिक प्रवृत्ति थी जो पाई गई अनियमिताओं की कुल संख्या का 68.7 *प्रतिशत* था।

3.15 सिफारिशें

क) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सहकारी समितियों के संवीक्षा निर्धारणों के दौरान पारस्परिकता के सिद्धांतों की जाँच के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने पर विचार कर सकता है। यह सहकारी समिति के निर्धारण के लिए नियमित सदस्यों के रूप में असमान अधिकारों के साथ जुड़े हुए तथा नाम-मात्र और सहयोगी सस्दयों के पंजीकरण की प्रक्रिया को संबोधित करने के लिए एक सुसंगत दृष्टिकोण अपनाने पर विचार कर सकता है जो पारस्परिकता के सिद्धांत को विफल करता है।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा (जुलाई 2020) की निर्धारण अधिकारियों को विवरण तथा दस्तावेजों को देखना चाहिए जो निर्धारण को पूरा करने की मूलभूत आवश्यकता है। हालांकि, इस मुद्दे को सम्बोधित करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी। इसमें आगे कहा कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने ई-निर्धारण योजना 2019 तैयार की है जहाँ मानवीय हस्तक्षेप को कम करने के लिए निर्धारण प्रक्रिया को फेसलेस बनाया गया है। गलतियों से बचने के लिए टीम आधारित निर्धारण प्रक्रिया रखी गई है जो यह सुनिश्चित करेगी कि गलतियों को खत्म करने के लिए, यदि कोई गलती है तो, निर्धारण आदेशों को पारित करने से पहले निर्धारण अधिकारियों द्वारा निर्धारणों की सही तरह से समीक्षा की गई है।

लेखापरीक्षा में ऐसे उदाहरण पाए गए जहाँ निर्धारण अधिकारी निर्धारितियों को अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती की

अनुमति दे रहे थे जो सहकारी सिद्धांतों को पूरा नहीं करते थे तथा इसीलिए पारस्परिकता के सिद्धांतों की पूर्ति नहीं करते। लेखापरीक्षा का विचार है कि संवीक्षा निर्धारणों के दौरान पारस्परिकता के सिद्धांतों की जाँच के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया को तैयार करना सहकारी समितियों के निर्धारण में एकरूपता तथा स्थिरता को सरल बनाएगा।

ख) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आय की जांच करते समय भी सहकारी समिति द्वारा की गई गतिविधियों की प्रकृति की प्रभावी निगरानी के लिए एक तंत्र तैयार कर सकता है जिस पर सहकारी समितियों/बैंको द्वारा कटौती दावा किया जा रहा है ताकि पात्र निर्धारितियों के दावे की अनुमति को सुनिश्चित किया जा सके।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा (जुलाई 2020) कि संवीक्षा निर्धारण के लिए मामले का चयन होने के बाद कम्प्यूटर समर्थित सवीक्षा चयन के माध्यम से निगरानी की जाती है। संवीक्षा निर्धारणों के दौरान, सहकारी समितियों/बैंको द्वारा दावा की गई कटौतियों पर आय की जांच आयकर विभाग द्वारा की जाती है। यदि बाद में लेखापरीक्षा के दौरान कोई गलती पाई जाती है तो उपयुक्त मामलों में अनुकूल उपचारात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रस्तावित मानक संचालन प्रक्रिया में इन मामलों को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि गलतियाँ न हो।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कटौती के दावे की अननुमति के लिए मुख्य कारण निर्धारिती थे जो या तो सहकारी समितियों के लिए अधिनियम में निर्दिष्ट गतिविधियों में नहीं लगे हुए थे या मुख्य गतिविधि या व्यवसाय की तुलना में छोटे अनुपात में लगे हुए थे। इससे पारस्परिकता के सिद्धांतों पर आधारित काम न करने वाले का सत्वों का मुख्य जोखिम हुआ, गलत तरीके से लाभ का दावा किया गया तथा सहकारी समितियों पर प्रभावी प्रावधानों का संभावित दुरूपयोग हुआ। इसीलिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सहकारी समितियों द्वारा दावा की गई कटौती पर आय की प्रकृति की जाँच के लिए एक तंत्र तैयार पर विचार कर सकता है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 80पी की उपधारा को ग्रहण करने के लिए आईटीआर फार्म में प्रावधान करने पर भी विचार कर सकता है जिसके तहत निर्धारिती अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती का दावा करते है।

ग) दावों की प्रभावी निगरानी, अपात्र दावों की संभावना कम करने के लिए तथा केवल पात्र निर्धारितियों को कटौती की अनुमति सुनिश्चित करने के लिए निर्धारिती के गतिविधि कोड तथा स्टेटस कोड को अधिनियम की उपधाराओं 80पी तथा 36(1) के साथ जोड़ा जा सकता है जिसके अंतर्गत आयकर रिटर्न फाइल करने के चरण पर कटौती का दावा किया जाता है। निर्धारण के दौरान जिन मामलों में अयोग्य गतिविधियों में लगे निर्धारितियों द्वारा दावा की गई कटौती को अस्वीकार कर दिया गया था, उनका उपयोग अनुवर्ती वर्षों में संवीक्षा के लिए चयन में प्राथमिकता प्रदान करने के लिए गतिविधियों, क्षेत्र और निर्धारितियों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। इसकी सूचना संबंधित नियामक प्राधिकरणों (भारतीय रिजर्व बैंक, सहकारी समिति पंजीयक आदि) को भी दी जाए।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने जवाब दिया (जुलाई 2020) कि यह सिफारिश सीबीडीटी की टीपीएल डिविजन में विचाराधीन है।

घ) अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत की गई कटौती के वास्तविक दावे को कटौती के प्रभाव के निर्धारण, बेहतर प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस), बेहतर निगरानी के लिए आईटीआर फार्म की प्रासंगिक अनुसूची में ग्रामीण अग्रिम तथा कुल आय पर कटौती के अलग आंकड़ों/विवरणों के साथ दर्ज़ किया जा सकता है क्योंकि मौजूदा प्रारूप में वास्तविक दावे को दर्ज़ नहीं किया जा रहा है।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने उत्तर दिया (जुलाई 2020) कि यह सिफारिश सीबीडीटी की टीपीएल डिवीजन में विचाराधीन है।

ड.) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को सुनिश्चित करना चाहिए कि सहकारी समितियों के रूप में कटौतियों का दावा करने वाले निर्धारितियों का पैन स्टेटस केवल एओपी होना चाहिए। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सहकारी समितियों/बैकों के विषय में निर्धारितियों की पहचान के लिए, आयकर विभाग के पास उपलब्ध डेटा से सार्थक जानकारी की सुविधा के लिए पैन पंजीकरण स्टेटस की समीक्षा तथा पैन पंजीकरण में एकरूपता सुनिश्चित कर सकती है।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा (जुलाई 2020) कि आयकर अधिनियम, 1961 के प्रयोजन के लिए, सहकारी समितियों को व्यक्तियों का संगठन (एओपी) के रूप में माना जाता है।

लेखापरीक्षा में ऐसे उदाहरण देखे गए जहाँ सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के तौर पर कटौती के दावे का लाभ उन सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों द्वारा लिया था जो एआपी के अलावा अर्थात एओपी (ट्रस्ट), एजेपी, बीओआई, फर्म आदि के तौर पर पंजीकृत थे, जो नियमानुसार नहीं है। लेखापरीक्षा का विचार है कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सहकारी क्षेत्र के विषय में निर्धारितियों के पैन पंजीकरण में एकरूपता सुनिश्चित करने तथा सहकारी समितियों को स्वीकार्य कटौती की अनुमति को केवल एओपी के तौर पर पंजीकृत निर्धारितियों को देना सुनिश्चित करने के लिए पैन पंजीकरण स्टेटस की समीक्षा कर सकती है।

च) अधिनियम के अंतर्गत धाराओं तथा निर्धारितियों के वर्गों, जहाँ दावों की अनियमित अनुमति की संभावना अधिक थी, की पहचान तथा निगरानी की जानी चहिए। आयकर विभाग कटौतियों की अनियमित अनुमति की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निर्धारण अधिकारियों के उपायो के लिए उसकी रूपरेखा की एक जाँच सूची तैयार कर सकता है।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने उत्तर दिया (जुलाई 2020) कि सिफारिशों पर सहकारी समितियों के निर्धारण के संबंध में जारी किए गए प्रस्तावित मानक संचालन प्रक्रिया में विचार किया जाएगा।

छ) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड समान स्थितियों में समान कानून को लागू करने में व्यापक भिन्नताओं के कारणों की जाँच कर सकता है तथा यदि आवश्यक हो तो, सहकारी क्षेत्र में समान गतिविधियों में लगे हुए निर्धारितियों के समान वर्ग के निर्धारण में एकरूपता तथा अनुरूपता को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी कर सकता है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नियामक निकायों के अनुसार सहकारी बैकों की संरचना के तहत वर्गीकरण के अनुसार ऐसे निर्धारितियों के निर्धारण को संरेखित करने के लिए नियामक निकायों के साथ समन्वय भी कर सकता है। निर्धारण प्रक्रिया के दौरान देखे गए सहकारी समितियों और वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवसाय में संलग्न अपात्र निर्धारितियों को स्वीकार्य कटौती का दावा करने वाले अयोग्य निर्धारण के मामलों की सूचना नियामक प्राधिकरणों (भारतीय रिजर्व बैंक, सहकारी समिति पंजीयक आदि) को दी जाए।

ज) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए कि कटौती की अनुमति केंद्रीय और राज्य स्तर पर चीनी के मूल्य निर्धारण के संबंध में सरकारी नीतियों के अनुसार हो, धारा 36(1)(xvii) के तहत चीनी विनिर्माण सहकारी समितियों द्वारा किए गए दावों के निर्धारण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर सकता है।